[2022] 12 एस. सी. आर. 667

एम/एस। आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी

वी.

एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(2021 की सिविल अपील संख्या 7722)

26 अगस्त, 2022

[एन. वी. रमना, सीजेआई, जे. के. माहेश्वरी और

हिमा कोहली, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-ss. 7 , 33 , 34 , 35 , 61 दिवाला और दिवालियापन (निर्णय लेने के लिए आवेदन)

प्राधिकरण) नियम, 2016 - आर. 4-दिवाला और दिवालियापन बोर्ड भारत (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016-विनियम 8,31 ए, 32,33,33 (2) (डी), अनुसूची-I यू/विनियम 33-गुजरात समुद्री बोर्ड (जी. एम. बी.) ने कॉर्पोरेट देनदार को भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर दिया।

तीस साल की अवधि-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने एक आवेदन दायर किया

निगमित ऋणदाता के खिलाफ निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत-अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) नियुक्त किया गया था-परिसमापन शुरू करने के लिए आई. आर. पी. द्वारा आवेदन किया गया था।

कार्यवाही-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) ने निगमित ऋणदाता के परिसमापन का आदेश दिया और प्रत्यर्थी संख्या 2 को परिसमापक के रूप में नियुक्त किया-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निगमित ऋणदाता की समेकित परिसंपत्तियों को बेचने के लिए पांच ई-नीलामियां आयोजित की गईं लेकिन पहले

चार असफल रहे-पांचवीं ई-नीलामी में, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने एकल आधार पर या एकल या एकल आधार पर परिसंपत्तियों की बिक्री की पेशकश की।

छोटे लॉट, समग्र रूप से-दो आवासीय संपत्तियों की बिक्री को छोड़कर, कोई भी खरीदार इसे खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ा।

अन्य परिसंपत्तियाँ-प्रत्यर्थी सं। 2 निजी बिक्री के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति बेचने की अनुमति के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया गया, अनुमति दी गई-स्विस चुनौती प्रक्रिया को अपनाया गया निजी बिक्री के माध्यम से निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए

पहली स्विस चुनौती प्रक्रिया में असफल रही

दूसरे दौर में, दहेज सामग्री और स्क्रैप के लिए निर्धारित 460 करोड़ रुपये के आधार मूल्य के मुकाबले, अपीलकर्ता ने 431 करोड़ रुपये की बोली लगाई जिसे स्वीकार कर लिया गया-इसके बाद, प्रतिवादी संख्या

2 ने बोलीदाताओं को इसके खिलाफ अपनी बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया।

एंकर बोली जिसके जवाब में, अपीलकर्ता, उत्तरदाता संख्या 3,4,5 और 6 ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं, लेकिन इससे पहले कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर एक आवेदन पर,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. ने प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश देते हुए एक आदेश पारित किया

सबसे अधिक बोली लगाने वाले की घोषणा तक मंच को आगे बढ़ाएँ, जबकि

शेष प्रक्रिया को स्थगित करते हुए-एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित मामला, प्रत्यर्थी संख्या 2 से प्रत्यर्थी संख्या 7 द्वारा संपर्क किया गया था, जिसने कॉर्पोरेट देनदार की अचल और चल संपत्तियों को खरीदने में रुचि दिखाई-एन. सी. एल. टी. से दहेज सामग्री और शिपयार्ड की समग्र बिक्री करने की अनुमति के लिए संपर्क किया गया था, जिसे विधिवत मंजूरी दी गई थी-जिसे एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी।

खारिज-हालाँकि, उक्त आदेश को संशोधित करते हुए, एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रतिवादी नं. 2 प्रक्रिया को उन पक्षों तक सीमित रखने के बजाय संभावित खरीदारों को एक खुला नोटिस जारी करने के बाद निजी बिक्री की पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना जिन्होंने पहले प्रक्रिया में भाग लिया था-अपील पर, कहा गयाः केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने एंकर बोली दस्तावेज़ के तहत एक बोली प्रस्तुत की थी और दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया में उसे एंकर बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया था, वह इस बात पर जोर देने के लिए उस पर अधिकार निहित नहीं कर सका कि उक्त प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए-एंकर बोली दस्तावेज़ और दूसरे स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को देखते हुए, अपीलार्थी द्वारा दिए गए अयोग्य वचन के साथ सामूहिक रूप से पढ़ा जाता है, यह स्वीकार करते हुए कि प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त प्रक्रिया को रद्द करने/संशोधित करने या यहां तक कि छोड़ने का भी अधिकार था, यह अपीलार्थी के मुंह में यह आग्रह करने के लिए नहीं है कि एक बार यह निर्धारित किया गया था।

शुरुआत में, दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को बंद करने का कोई औचित्य नहीं था-प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा लिए गए निर्णय को इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए मनमाना, मनमौजी या अनुचित नहीं माना जा सकता है-उक्त निर्णय ठोस कारण और तर्क के साथ संयमित है-यह हितधारकों के सर्वोत्तम हित पर केंद्रित एक विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक निर्णय है-हितधारकों ने सर्वसम्मति से प्रतिवादी संख्या 2 के विचार का समर्थन किया है, यह सर्वोच्च न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उक्त निर्णय की वांछनीयता या तर्कसंगतता की और जांच करे या उसे अपने विचारों के साथ प्रतिस्थापित करे-NCLAT द्वारा पारित विवादित निर्णय इस हद तक कि उसने NCLT द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और निजी बिक्री प्रक्रिया को रोकने का निर्देश दिया, रद्द और निर्धारित किया जाता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-स्विस चुनौती प्रक्रिया-आयोजितः एक एंकर बोलीदाता के पास पहले इनकार के अधिकार (आरओएफआर) से परे कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह प्रस्ताव की उत्पत्ति है।

स्विस चुनौती प्रक्रिया निजी प्रतिस्पर्धा का एक और तरीका है।

-

अपनी पारदर्शिता के लिए मान्यता प्राप्त भागीदारी-अंततः, आईबीसी एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

परिसमापन में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए सर्वोत्तम संभव विधि का पता लगाने के लिए परिसमापक के विवेक पर छोड़ दिया है, जिसमें बिक्री के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से निजी बिक्री शामिल है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 -

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी.-आयोजितः परिसमापक में निहित शक्तियों और कर्तव्यों को न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के निर्देशों के अधीन बनाया गया है। एस. 35-एक बार जब परिसमापक उचित आदेशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आवेदन करता है।

निगमित देनदार की चल और अचल संपत्तियों को परिसमापन में बेचने के निर्णय सहित निर्देश

बिक्री का विशेष तरीका और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) इस तरह के निर्णय को मंजूरी देता है, आई. बी. सी. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार देता हो।

उक्त निर्णय की न्यायिक समीक्षा-न्यायनिर्णायक प्राधिकरण [एन. सी. एल. टी.] और अपीलीय प्राधिकरण [एन. सी. एल. ए. टी.] को दी गई अधिकारिता आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा सीमित है, वे निष्पक्षता न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं या वाणिज्यिक ज्ञान के आधार पर और हितधारकों द्वारा समर्थित परिसमापक के निर्णय को एकतरफा रूप से उलटने के लिए पूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

भारत का संविधान-न्यायिक समीक्षा-वाणिज्यिक मामलों का दायरा आयोजितः यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि वाणिज्यिक लेन-देन, निविदा आदि से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा काफी सीमित है और अदालत को इससे बचना चाहिए।

निविदा एजेंसी के लिए अपने निर्णयों को प्रतिस्थापित करने से।

पकड़नाः 1.1 आई. बी. सी. और परिसमापन विनियमों के उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि परिसमापक को सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध के माध्यम से परिसमापन में निगमित देनदार की अचल और चल संपत्ति को सामूहिक रूप से या टुकड़ों में बेचने के लिए अधिकृत किया जाता है। क़ानून का अंतर्निहित उद्देश्य परिसमापन में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करना और उन्हें सर्वोत्तम संभव मूल्य पर बेचना है। इस उद्देश्य के लिए, आई. बी. सी. के प्रावधानों ने परिसमापक को [2022] 12 एस. सी. आर. के रूप में सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध के लिए जाने का अधिकार दिया है।

बिक्री। की गई प्रगति की सूचना देने के अलावा, परिसमापक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को उचित आदेशों और परिसमापन के लिए आवश्यक माने जाने वाले निर्देशों के लिए भी आवेदन कर सकता है।

कॉर्पोरेट देनदार। परिसमापक को उन हितधारकों से परामर्श करने की अनुमति है जो बिक्री आय के वितरण के हकदार हैं। हालांकि, आई. बी. सी. की धारा 35 (2) के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि हितधारकों की राय परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होगी। परिसमापन विनियमों का विनियम 8 हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जैसा कि आईबीसी की धारा 35 (2) में निर्दिष्ट किया गया है और कहा गया है कि वे परिसमापक को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान करेंगे।

परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करना। विनियमन 31 ए ने एक हितधारक परामर्श समिति की शुरुआत की है जो परिसमापक को निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में सलाह दे सकती है और ऐसी सलाह प्रदान करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यद्यपि दी गई सलाह बाध्यकारी नहीं है

परिसमापक, उसे इस तरह की सलाह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखित में कारण देना चाहिए। [पैरा 39] [704-डी-एच; 705-ए]

1.2 जब कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के तरीके की बात आती है, चाहे वह अचल हो या चल और अन्य

कार्रवाई योग्य दावे, परिसमापन विनियमों का विनियम 33 लागू होता है और कहता है कि आम तौर पर परिसमापक उक्त परिसंपत्तियों को नीलामी के माध्यम से बेचेगा, जैसा कि अनुसूची-I (1) में निर्दिष्ट है। धारा 33, आई. बी. सी. की उप-धारा (2) परिसमापक को एक विकल्प देती है।

" आम तौर पर "नीलामी के माध्यम से परिसंपत्तियों को बेचना जिसका अर्थ है कि विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, परिसमापक सीधे निजी बिक्री के लिए जा सकता है। पिटेंस के लिए एक निजी बिक्री आयोजित करके परिसंपत्तियों के निपटान के नुकसान से बचने के लिए, विनियमन 33 ने कुछ सख्त शर्तें निर्धारित की हैं कि परिसमापक पालन करने के लिए बाध्य है। उक्त पूर्व शर्तें यह हैं कि (i) परिसंपत्ति खराब होने योग्य है; (ii) यदि परिसंपत्ति को तुरंत नहीं बेचा जाता है तो मूल्य महत्व में गिरावट आने की संभावना है; (iii) परिसंपत्ति को असफल नीलामी के आरक्षित मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है; और (iv) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (NCLT) को पूर्व M/S प्रदान करना चाहिए।

ऐसी बिक्री के लिए अनुमति। परिसमापन विनियमों के विनियम 33 (2) में संलग्न परंतुक इस प्रभाव के लिए एक और प्रतिबंध लगाता है कि जब परिसमापक निगमित ऋणदाता की संपत्तियों को निगमित ऋणदाता के किसी संबंधित पक्ष, उसके रिश्तेदार पक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी पेशेवर को निजी बिक्री के माध्यम से बेचने का इरादा रखता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) की पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। यहाँ तक कि बिक्री का तरीका भी है

सार्वजनिक नीलामी और निजी बिक्री दोनों के लिए परिसमापन विनियमों के तहत विनियमित किया गया है। कॉरपोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए उपरोक्त सभी क्या करें और क्या न करें शामिल किए गए हैं।

और हितधारकों के हितों की रक्षा करना। [पैरा 40] [705-बी एफ]

1.3 एंकर बोली दस्तावेज़ और दूसरे स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ के खंडों का एक नंगे अवलोकन, इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि संभावित बोलीदाताओं को सूचित किया गया था कि परिसमापक ने किसी भी स्तर पर उक्त प्रक्रिया और/या उसके हिस्से को छोड़ने/रद्द करने/समाप्त करने/माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखा था; कि एंकर बोली दस्तावेज़ जारी नहीं किया गया था। निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के साथ आगे बढ़ने के लिए परिसमापक पर कोई बाध्यकारी दायित्व बनाना; कि एंकर बोली दस्तावेज़ परिसमापक का प्रस्ताव/प्रतिबद्धता या आश्वासन नहीं था। दूसरे स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ में भी परिसमापक के पास समान अधिकार सुरक्षित थे। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुसूची IV एक कदम आगे बढ़ती है और परिसमापक को बोली लगाने वाले को इसमें शामिल करने का अधिकार देती है।

किसी भी स्तर पर बिक्री प्रक्रिया। वह उक्त प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की समग्र परिसंपत्तियों को बेचने का भी निर्णय ले सकता था। [पैरा 47] [709-डी-एफ] 1.4 केवल इसलिए कि इसमें अपीलार्थी ने एंकर बोली दस्तावेज़ के तहत एक बोली प्रस्तुत की थी और उसे घोषित किया गया था

दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया में एंकर बोलीदाता, उसे इस बात पर जोर देने का अधिकार नहीं दे सका कि उक्त प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए। अपीलार्थी उस निहित अधिकार के बारे में बात कर रहा है जो कथित रूप से एंकर बोलीदाता घोषित किए जाने पर उसके पक्ष में अर्जित हुआ था। लेकिन इसने अपने द्वारा 23 मार्च, 2021 को दायर एक हलफनामे को आसानी से नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह वचन दिया गया है कि यह स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ और [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बाध्य रहेगा।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को उक्त प्रक्रिया को रद्द करने/संशोधित करने या यहां तक कि छोड़ने के लिए अच्छी तरह से अधिकार दिया गया था, यह आग्रह करना अपीलार्थी के मुंह में नहीं है कि एक बार यह शुरू किया गया था, दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को बंद करने का कोई औचित्य नहीं था। एंकर बोलीदाता के रूप में अपीलकर्ता को इस बात पर जोर देने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए कि उक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए, चाहे प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा लिए गए बाद के निर्णय की परवाह किए बिना, स्विस चुनौती प्रक्रिया को बंद करने और सीधे बातचीत के माध्यम से संचालित की जाने वाली कॉर्पोरेट देनदार की समेकित संपत्तियों की निजी बिक्री का विकल्प चुनने के हितधारकों द्वारा समर्थन किया गया। एक एंकर बोलीदाता का आर. ओ. एफ. आर. से परे कोई निहित अधिकार नहीं है, जो प्रस्ताव की उत्पत्ति है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्विस चुनौती प्रक्रिया निजी भागीदारी का एक और तरीका है जिसे इस न्यायालय द्वारा अपनी पारदर्शिता के लिए मान्यता दी गई है। अंततः, आई. बी. सी. ने इसका पता लगाने के लिए इसे परिसमापक के विवेक पर छोड़ दिया है

परिसमापन में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने का सबसे अच्छा संभव तरीका, जिसमें बिक्री के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से निजी बिक्री शामिल है। [पारस 48,49] [709-जी-एच; 710-ए-ई]

रवि विकास बनाम। कृष्ण परिषद और अन्य

(2009) 7 एससीसी 462: [2009] 8 एस. सी. आर. 654-संदर्भित।

1.5 प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा लिए गए निर्णय की विवेकशीलता पर सवाल उठाना अदालत का काम नहीं है।

बिक्री के लिए रखे जा रहे निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने का विचार। उच्चतम बोली को अस्वीकार करने या बोली प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ने या रद्द करने का अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के पास उपलब्ध था। अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुआ है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 का निर्णय

लिक्विडेटर दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को बंद कर देगा और उसके साथ दिशा वार्ता के माध्यम से एक निजी बिक्री के लिए जाएगा संभावित बोलीदाता एक दुर्भावनापूर्ण अभ्यास था। [पैरा 52] [711-ई-एफ] एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। नंदलाल जैसवाल और अन्य (1986) 4 एससीसी 566: [1987] 1 एस. सी. आर. 1; 5 एम एंड टी सलाहकार, सिकंदराबाद बनाम। एस. वाई. नवाब और

एक और (2003) 8 एससीसी 100: [2003] 4 पूरक। एससीआर 187;

झारखंड राज्य और अन्य बनाम। सी. डब्ल्यू. ई.-सोमा

कंसोर्टियम (2016) 14 एससीसी 172: [2016] 4 एस. सी. आर. 157; लक्ष्मीकांत और अन्य बनाम। सत्यवान और अन्य (1996) 4 एस. सी. सी. 208: [1996] 3 एस. सी. आर. 532; मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (2016)

15 एससीसी 272: [2016] 8 एससीआर 224-पर निर्भर।

1.6 कानून परिसमापक को निगमित ऋणदाता की अचल और चल संपत्तियों को इस तरह से बेचने का आदेश देता है कि

परिसमापक निजी बिक्री की श्रेणी में भी आता है, जिसे परिसमापन विनियमों के विनियमन 33 के तहत अनुसूची-I (2) में संदर्भित किया गया है। एक निजी बिक्री आयोजित करने के लिए, परिसमापक को केवल एक रणनीति तैयार करने की आवश्यकता होती है इच्छुक पक्ष। वह संभावित खरीदारों के साथ सीधे संपर्क करने के लिए अधिकृत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिक्री से प्राप्ति

परिसंपत्तियों को अधिकतम किया जा सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा अपनाए गए उक्त दृष्टिकोण में कोई कमजोरी नहीं है। जब तुलना की जाती है

लंबी प्रक्रिया से ऊपर, परिसर में पड़े धातु के स्क्रैप आदि के साथ दहेज भूमि के लिए एक एकल खरीदार पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बाध्य था क्योंकि सफल बोलीदाता

कब्जा सीधे और [2022] 12 एस. सी. आर. को सौंपा जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक वसूली की उच्च दर के साथ समयबद्ध तरीके से समग्र परिसंपत्तियों के लिए भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में होगा। वाणिज्यिक विचारों के दायरे में आने वाले इन सभी कारकों की उत्तरदाता संख्या 2-परिसमापक द्वारा समग्र रूप से जांच की गई, जिन्होंने 6 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में हितधारकों के सामने कार्ड रखे। भले ही आई. बी. सी. के प्रावधान सशक्त बनाते हैं परिसमापक परिसमापन में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए एक स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए, यह देखा जा सकता है कि उन्होंने हर कदम पर हितधारकों को विश्वास में लिया है। केवल

द्वितीय स्विस चुनौती प्रक्रिया को रोकने और संभावित खरीदारों के साथ सीधे संपर्क करके कॉर्पोरेट ऋणदाता की समेकित परिसंपत्तियों की निजी बिक्री के साथ आगे बढ़ने के लिए उनके द्वारा खोजे गए विकल्प के साथ सहमत होने के बाद, क्या प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया। इसके बाद, मामले को आई. बी. सी. की धारा 35 (1) के तहत आवश्यक अनुमति के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के पास ले जाया गया, जिसे विधिवत मंजूरी दी गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा लिए गए निर्णय को इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए मनमाना, मनमौजी या अनुचित नहीं माना जा सकता है। उक्त निर्णय ठोस कारण और तर्क के साथ संयमित है। यह विशुद्ध रूप से हितधारकों के सर्वोत्तम हित पर केंद्रित एक वाणिज्यिक निर्णय है। हितधारकों ने सर्वसम्मति से प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के दृष्टिकोण का समर्थन किया है, यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उक्त निर्णय की वांछनीयता या तर्कसंगतता की आगे की जांच करे या उसे अपने विचारों के साथ प्रतिस्थापित करे। [पैरा 56,57] [715-एफ-एच; 716-ए-डी]

1.7 इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा व्यक्त किया गया विचार कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक का निर्णय द्वारा संचालित था परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हितधारकों की इच्छा

कम से कम संभव समय के साथ सहमति है। निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने की उपरोक्त कवायद लगभग तीन वर्षों से चल रही है, जिसमें आगे देरी करने के लिए कई मुकदमे दायर किए गए हैं। प्रक्रिया पर जितनी जल्दी पर्दा डाला जाएगा, सभी संबंधित लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा। यही कारण है कि यह न्यायालय अलग रखने के लिए इच्छुक है एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा मेसर्स को फिर से शुरू करने के बाद के निर्देश जारी किए गए।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर

वाणिज्यिक निजी सीमा

सभी संभावित खरीदारों को उन लोगों तक सीमित किए बिना नए नोटिस जारी करके निजी बिक्री की पूरी प्रक्रिया

प्रक्रिया में भाग लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक नीलामी में सार्वजनिक नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन निजी बिक्री के मामले में ऐसा नहीं है जहां निर्धारित प्रक्रिया अनुमति देती है

परिसमापक संभावित खरीदार के साथ सीधे संपर्क करें और बातचीत करें। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि ये वाणिज्यिक लेनदेन और विशुद्ध रूप से व्यापार संचालित निर्णय हैं, जो न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई दिवाला व्यवस्था ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलकर्ता प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन पक्षों ने बिक्री के पहले दौर में भाग लिया था, उनके साथ समग्र परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बातचीत करने के एन. सी. एल. टी. के निर्णय को एन. सी. एल. ए. टी. के लिए उक्त आदेश को संशोधित करने और संभावित खरीदारों को नोटिस जारी करने के प्रारंभिक चरण में वापस जाने का निर्देश देने के लिए जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। एल. आई. एस. के किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई राहत नहीं मांगी गई थी, न ही एन. सी. एल. ए. टी. ने कोई प्रशंसनीय कारण दिया है।

इस तरह का निर्देश जारी करने के लिए। [पारस 58,59] [716-डी-एच; 717-ए-बी]

1.8 परिसमापक में निहित शक्तियों और कर्तव्यों को उनके निर्देशों के अधीन कर दिया गया है आईबीसी की धारा 35 के तहत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (एनसीएलटी)। एक बार

परिसमापक उचित आदेशों/निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आवेदन करता है, जिसमें निगमित देनदार की चल और अचल संपत्तियों को बेचने का निर्णय भी शामिल है।

बिक्री का एक विशेष तरीका अपनाकर परिसमापन और

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) इस तरह के निर्णय को मंजूरी देता है, आई. बी. सी. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अपील को अधिकार देता हो।

प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) स्वतः संज्ञान लेते हुए उक्त निर्णय की न्यायिक समीक्षा करता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण [एन. सी. एल. टी.] और अपीलीय प्राधिकरण [एन. सी. एल. ए. टी.] को दिया गया अधिकार क्षेत्र आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा सीमित है, वे निष्पक्षता के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं या वाणिज्यिक ज्ञान के आधार पर और हितधारकों द्वारा समर्थित परिसमापक के निर्णय को एकतरफा रूप से उलटने के लिए पूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वास्तव में, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा यह ध्यान में लाया गया है कि 10 दिसंबर, 2021 को वित्तीय की मुख्य समिति [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा दिए गए एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित विवादित निर्णय के बाद बंद हो जाता है।

कॉरपोरेट देनदार के लेनदारों ने 15 दिसंबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की थी और सर्वसम्मति से प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक के विचार की पुष्टि की थी कि 24 अगस्त, 2021 को शुरू हुई बोली प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे खरीदारों को खोजने में लगभग तीन साल लग गए थे और बिक्री बंद होने के कगार पर थी। बैठक के कार्यवृत्त में यह भी दर्ज किया गया कि पक्षों से ब्याज मांगने के कई प्रयास पहले ही किए जा चुके थे, लेकिन कोई भी संपत्ति की समग्र खरीद के लिए प्रस्ताव देने के लिए आगे नहीं आया था। कोर कमेटी वित्तीय लेनदारों की 70.3% का गठन करती है और जब वे समर्थन करने के लिए विचार करते हैं प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा 24 अगस्त, 2021 को शुरू की गई बोली प्रक्रिया को जारी रखने के लिए लिया गया रुख, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक पर एन. सी. एल. ए. टी. के विचार को थोपने का कोई कारण नहीं है कि उसे संभावित खरीदारों को खुली सूचना जारी करने के बाद कॉर्पोरेट देनदार की समग्र संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहिए। [पारस 60,61] [717-बी-ई; 718-बी-ई]

एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड के ऋणदाताओं की समिति v. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2020) 8 एससीसी 531:

[2019] 16 एस. सी. आर. 275-पर निर्भर था।

के. शशिधर बनाम इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य (2019) 12 एससीसी 150: [2019] 3 एस. सी. आर. 845 समिति

एमटेक ऑटो लिमिटेड के लेनदार बनाम। दिनकर टी.

वेंकटसुब्रमण्यन और अन्य (2021) 4 एस. सी. सी. 457: 2021 (3) जे. टी. 110; कल्पराज धर्मशी और एक अन्य बनाम। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एक अन्य। (2021) 10 एससीसी 401: 2021 (4) जे. टी. 128; घनश्याम मिश्रा

एंड संस प्राइवेट लिमिटेड अधिकृत के माध्यम से

हस्ताक्षरकर्ता वी। एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड निदेशक और अन्य (2021) 9 एस. सी. सी. 657 के माध्यम से संदर्भित। -

1.9 इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित 10 दिसंबर, 2021 के विवादित फैसले को इस हद तक रद्द कर दिया गया है कि उसने एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित 16 अगस्त, 2021 के आदेश को संशोधित किया है और निजी बिक्री प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। मिश्रित परिसंपत्तियों की निजी बिक्री प्रक्रिया एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रत्यर्थी सं. 2-परिसमापक द्वारा कॉरपोरेट ऋणदाता की राशि को बिना कोई और समय गंवाए आगे बढ़ाया जाना चाहिए और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने वाले सभी योग्य बोलीदाताओं को परिसंपत्तियों को निजी तौर पर बेचने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 परिसमापक द्वारा आयोजित बातचीत में भाग लेने का अधिकार होगा।

कॉर्पोरेट देनदार। तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि 24 अगस्त, 2021 को शुरू हुई निजी वार्ता की प्रक्रिया को उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा और प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा चार सप्ताह के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा। इस आदेश को पारित करना। [पैरा 62] [718-एफ-एच; 719-ए]

टाटा सेल्युलर वी. भारत संघ (1994) 6 एससीसी 651: [1994] 2 पूरक। एस. सी. आर. 122; एयर इंडिया बनाम कोचीन

इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य (2000) 2 एस. सी. सी. 617 [2000] 1 एस. सी. आर. 505; अगमाटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। संसाधन दूरसंचार और अन्य (2022) 5 एस. सी. सी. 362: 2022 (2) स्केल 554; स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य (2019) 4 एस. सी. सी. 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और एक अन्य (2022) 2 एस. सी. सी. 401 के लेनदारों की समिति; जेपी

केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम। एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड और अन्य (2022) 1 एससीसी 401: 2021 (5) स्केल 142; अभिनव

इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। आईसीआईसीआई बैंक और एक अन्य (2018) 1 एससीसी 407: [2017] 8 एस. सी. आर. 33; आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य (2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एससीआर 362; स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड बनाम। मेसर्स एम एंड एन पब्लिकेशंस लिमिटेड एंड अदर्स (1993) 1 एस. सी. सी. 445 [1993] 1 एस. सी. आर. 81; मौलेश्वर मणि और अदर्स बनाम। जगदीश प्रसाद और अन्य (2002) 2 एससीसी 468 [2002] 1 एससीआर 423; बी. एस. एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड और अन्य (2006) 11 एस. सी. सी. 548 [2006] 8 पूरक। एस. सी. आर. 11; जगदीश मंडल बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य (2007) 14 एस. सी. सी. 517; एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड v. नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक अन्य (2016) 16 एस. सी. सी. 818: [2016] 3

एस. सी. आर. 551-संदर्भित।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[2009] 8 एससीआर 654

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1996] 3 एससीआर 532

पैरा 16

संदर्भित किया गया है

[2016] 4 एससीआर 157

उस पर भरोसा करें

पैरा 16

[1994] 2 पूरक। एससीआर 122

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2000] 1 एससीआर 505

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2016] 8 एससीआर 224

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

[2019] 3 एससीआर 535

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

[2017] 8 एससीआर 33

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[2018] 12 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 34

[1987] 1 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[2003] 4 पूरक। एससीआर 187

उस पर भरोसा करें

पैरा 52

[1993] 1 एससीआर 81

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[2002] 1 एससीआर 423

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[2006] 8 पूरक। एससीआर 11

पैरा 55

संदर्भित किया गया है

[2016] 3 एससीआर 551

संदर्भित किया गया है

पैरा 55

[2019] 16 एससीआर 275

संदर्भित किया गया है

पैरा 60

[2019] 3 एससीआर 845

पैरा 60

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.7722

2021 से।

राष्ट्रीय संविधान के 22.11.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 की कंपनी अपील (एटी) (दिवाला) No.236 में कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

2021 की सिविल अपील संख्या 7731। तुषार मेहता, एसजी, के. एम. नटराज, एएसजी, डॉ. अभिषेक मनु

सिंघवी, गौरव मित्रा, अरविंद दातार, जय सावला, मुकुल रोहतगी,

सिद्धार्थ दवे, विक्रम नानकानी, Sr.Advs। , समीर पंडित, अमन राज गांधी, पार्थसारथी बोस, अनुज जैन, आदित्य लाढा, अनन्या प्रताप सिंह, अजीम सैमुअल, निधिराम, आकाश काकड़े, गुरदीप सिंह सच्चर, विक्रांत शेट्टी, श्रिया राय चौधरी, श्वेतब कुमार, सोमनाथ पधन, अभिषेक शर्मा, सुश्री एशली चेरियन, गौरव अरोड़ा, कमलेंद्र सिंह, सुश्री रेणुका, सुश्री रेणुका साहू, आलोक त्रिपाठी, रुपेश कुमार, मैसर्स।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

एम/एस के लिए कन्नू अग्रवाल, मयंक पांडे, मुकेश कुमार मरोरिया, शिव मंगल शर्मा, सौरभ राजपाल, सुश्री श्रिंजन खोसला। औरा एंड कंपनी, जसदीप सिंह ढिल्लों, सलिल ठाकुर, प्रभाव चौरसिया, राहुल गुप्ता, सुश्री आर. नायर, गौरव माथुर, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, अभिषेक शाह, सुश्री प्रियंका राठी, शशांक खुराना, मैसर्स। सिरिल अमरचंद मंगलदास, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हिमा कोहली, जे.

1. इस सामान्य निर्णय द्वारा, हम मेसर्स द्वारा दायर दोनों अपीलों पर निर्णय लेने का प्रस्ताव करते हैं। आर. के. इंडस्ट्रीज (इकाई-II) एलएलपी (2021 की सिविल अपील में अपीलार्थी No.7722 और सिविल अपील में प्रतिवादी संख्या 1

अपीलीय प्राधिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली 2 द्वारा कंपनी अपील (ए. टी.) (आई. एन. एस.) में पारित 10 दिसंबर, 2021 के फैसले के खिलाफ 2021 की 'वेलस्पन स्टील रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड' (2021 की सिविल अपील में अपीलार्थी और अपील में प्रतिवादी संख्या 'आई. डी. 2'/2021) और आर. के. इंडस्ट्रीज द्वारा दिवाला की धारा 61 के तहत दायर 2021 की संख्या 690 और

दिवालियापन संहिता, 2016 3, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, (राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, अहमदाबाद) द्वारा 16 अगस्त, 2021 को 2021 के अंतर्वर्ती आवेदन No.273 में पारित आदेश (प्रतिवादी संख्या 1-H. R. कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2020 के IA No.698 में (परिसमापक द्वारा दायर) 2017 की कंपनी याचिका (IB) No.53 में दायर किया गया। सुविधा के लिए, हम 2021 की सिविल अपील No.7722 में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करने का प्रस्ताव करते हैं।

मामले के तथ्य

2. वर्तमान अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक मामले के तथ्य

वे इस प्रकार हैं।

2.1 26 फरवरी, 2008 के समझौते के अनुसार, गुजरात समुद्री बोर्ड ने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड को एक अवधि के लिए भूमि का एक टुकड़ा पट्टे पर दिया तीस साल का। 1 अगस्त, 2017 को आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ने एक कदम आगे बढ़ाया।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवेदन?

1 संक्षेप में 'वेलस्पन' के लिए

4 संक्षेप में 'एन. सी. एल. टी' 5 संक्षेप में 'जी. एम. बी.'

" संक्षेप में 'कॉर्पोरेट देनदार' ' संक्षेप में 'सी. आई. आर. पी.' [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नियम के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 7 के तहत निगमित देनदार के खिलाफ

4 न्यायनिर्णायक प्राधिकरण, एन. सी. एल. टी., अहमदाबाद के समक्ष दिवाला और दिवालियापन (न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए आवेदन) नियम, 2016

[सीपी (आईबी) No.53/एनसीएलटी/एएचएम/2017] जिसमें श्री सुंदरेश भट को अंतरिम समाधान पेशेवर के रूप में नियुक्त किया गया था। चूंकि कोई समाधान योजना नहीं है

सी. आई. आर. पी. के दौरान अनुमोदित किया गया था, परिसमापन कार्यवाही शुरू करने के लिए आई. आर. पी. द्वारा एक आवेदन दायर किया गया था। 25 अप्रैल, 2019 के आदेश के अनुसार, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने निगमित ऋणदाता के परिसमापन का आदेश दिया और श्री सुंदरेश भट को परिसमापक नियुक्त किया। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने एक ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों को बेचने का प्रयास किया, जैसा कि भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 की अनुसूची-I के साथ पठित आई. बी. सी. की धारा 33 और 35 में विचार किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा 17 सितंबर, 2019; 27 सितंबर, 2019; 22 अक्टूबर, 2019; 11 नवंबर, 2019 और 5 अगस्त, 2020 को कॉर्पोरेट ऋणदाता की समेकित परिसंपत्तियों को बेचने के लिए पांच ई-नीलामियां आयोजित की गईं। जब पहली चार ई-नीलामियां असफल रहीं, तो पांचवीं ई-नीलामी में, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने एक स्टैंड पर परिसंपत्तियों की बिक्री की पेशकश की

2.2 . उपरोक्त स्थिति का सामना करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन (2020 का आई. ए. No.698) प्रस्तुत किया। परिसमापन विनियमों के विनियम 33 (2) (डी) के संदर्भ में निजी बिक्री के माध्यम से निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने की अनुमति के लिए, जिसकी विधिवत अनुमति दी गई थी। संभावित खरीदारों से प्रस्ताव प्राप्त करने पर,

प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने हितधारकों से संपर्क किया, जिन्होंने 28 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में ई-नीलामी के पांचवें दौर में दहेज सामग्री के आरक्षित मूल्य 516 करोड़ रुपये से अधिक राशि पर दहेज सामग्री और स्क्रैप की बिक्री करने का निर्णय लिया। हितधारकों की सलाहकार समिति ने निर्णय लिया कि निजी बिक्री में भाग लेने का प्रस्ताव रखने वाले संभावित बोलीदाताओं को स्विस चुनौती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नतीजतन, निजी बिक्री के माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए स्विस चुनौती प्रक्रिया को अपनाया गया।

8 संक्षेप में 'आई. बी. सी. नियम'

संक्षेप में 'आई. आर. पी.'

10 संक्षेप में 'परिसमापन विनियम' 1 1 संक्षेप में 'दहेज सामग्री'

12 संक्षेप में 'एस. सी. सी.' एम/एस.

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

2.3 . 12 मार्च, 2021 को शुरू हुई पहली स्विस चुनौती प्रक्रिया असफल रही क्योंकि सबसे अधिक प्रस्ताव देने वाला आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत राशि जमा करने में विफल रहा। एस. सी. सी. ने 460 करोड़ रुपये के आधार मूल्य (516 करोड़ रुपये के पहले की गणना की गई आरक्षित कीमत से कम) पर दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया क्योंकि दहेज सामग्री से कुछ संपत्तियों को संभावित खरीदार के लिए आरक्षित रखा गया था। दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया 22 मार्च, 2021 को शुरू की गई थी और एंकर बोली चरण में, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने आर. के. इंडस्ट्रीज, सिविल अपील में अपीलकर्ता No.7731/2021-, प्रत्यर्थी संख्या 4-वी. के. औद्योगिक निगम लिमिटेड और प्रत्यर्थी संख्या 5-मेसर्स अंकित इंटरनेशनल से बोलियां प्राप्त कीं।

2.4 . 23 मार्च, 2021 को अपीलार्थी ने ब्याज की अभिव्यक्ति के साथ 431 करोड़ रुपये की अपनी बोली प्रस्तुत की और 1 करोड़ रुपये की राशि जमा की।

बोली की आवश्यकता के संदर्भ में करोड़। यद्यपि प्रक्रिया दस्तावेज के संदर्भ में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट-133 जमा करने की अंतिम तिथि 24 मार्च, 2021 थी, लेकिन अपीलार्थी ने 26 मार्च, 2021 को एंकर बोलीदाता के रूप में चयन के लिए प्रतिवादी संख्या 2-लिक्विडेटर के पास ₹ 43.10 करोड़ की ई. एम. डी. जमा की।

2.5 . स्विस चुनौती प्रक्रिया का दूसरा चरण 27 मार्च, 2021 को शुरू हुआ जब प्रतिवादी संख्या 2-लिक्विडेटर ने प्रकाशित किया

स्विस चुनौती प्रक्रिया में भाग लेने और एंकर बोली के खिलाफ अपनी बोलियां जमा करने के लिए बोलीदाताओं को आमंत्रित करने वाला एक विज्ञापन। इसके जवाब में, अपीलार्थी, उत्तरदाता संख्या 1,3,4,5 और 6 ने अपनी बोलियां प्रस्तुत कीं। 2 अप्रैल, 2021 को प्रतिवादी संख्या 1-एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड

एक संघ में बोली लगाने का प्रस्ताव किया जिसमें स्वयं और उत्तरदाता संख्या 3 से 6 शामिल हैं। उक्त संघ ने स्विस चुनौती प्रक्रिया के दूसरे चरण में एक ई. एम. डी. भी प्रस्तुत किया।

सूचीकरण की टिप्पणी

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का आदेश

3. 6 अप्रैल, 2021 को प्रतिवादी नंबर 1-एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

2021 का आई. ए. No.273 होने के नाते, दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया में बोली प्रक्रिया को चुनौती देते हुए, जिसमें अपीलार्थी को एंकर बोलीदाता के रूप में चुना गया था। एन. सी. एल. टी. ने 7 अप्रैल, 2021 को उपरोक्त आवेदन पर एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

13 संक्षेप में 'ई. एम. डी.' [2022] 12 एस. सी. आर.

दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया केवल उच्चतम बोलीदाता की घोषणा के चरण तक और शेष प्रक्रिया को 12 अप्रैल, 2021 के बाद की तारीख तक स्थगित करने के लिए है। 7 अप्रैल, 2021 के उक्त अंतरिम आदेश को बाद में एन. सी. एल. टी. द्वारा 27 अप्रैल, 2021 और 3 मई को बढ़ा दिया गया था।

2021 .

4. उपरोक्त आदेशों से व्यथित, अपीलकर्ता-आर. के. इंडस्ट्रीज ने अपीलीय प्राधिकरण/एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष एक अपील दायर की, जिसका निपटारा 18 जून, 2021 के आदेश के माध्यम से एन. सी. एल. टी. को 2021 के आई. ए. No.273 पर तेजी से निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया, जिसे प्रतिवादी संख्या 1-एच. आर. कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था। [इस बीच, प्रतिवादी संख्या 7-वेलस्पन ने प्रतिवादी संख्या 2-लिक्विडेटर को दहेज सामग्री में अपनी रुचि व्यक्त करते हुए 19 मई, 2021 को एक ई-मेल भेजा।

साथ ही वह भूमि जो जी. एम. बी. द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को पट्टे पर दी गई थी]। प्रतिवादी संख्या 2 के बीच ई-मेल की एक श्रृंखला का आदान-प्रदान किया गया।

परिसमापक और प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन ने कॉर्पोरेट देनदार की समेकित परिसंपत्तियों को 627.50 करोड़ की कीमत पर हासिल करने के अपने प्रस्ताव पर। जब साइट पर दहेज सामग्री का निरीक्षण करने की अनुमति के लिए प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन के अनुरोध को प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि मामला विचाराधीन था और बोली लगाने के लिए सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो उसने प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को कॉर्पोरेट देनदार की समेकित संपत्ति खरीदने के अपने प्रस्ताव पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए एन. सी. एल. टी. (2021 का आई. ए. No.445) के समक्ष एक आवेदन दायर किया। लगभग उसी समय, प्रतिवादी संख्या 8-कैंटर स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को रद्द करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन (2021 का आई. ए. No.379) दायर किया।

5. 5 जुलाई, 2021 को, एन. सी. एल. टी. ने प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन को निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया। उक्त निरीक्षण के बाद, 2 अगस्त, 2021 के पत्र के माध्यम से, प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन ने समेकित परिसंपत्तियों के लिए अपने प्रस्ताव को 627.50 करोड़ से बढ़ाकर 650 करोड़ कर दिया।

जहाँ आधार है ';' जैसा है वही आधार है 'और' जहाँ भी आधार है '।

6. 6 अगस्त, 2021 को एस. सी. सी. की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने हितधारकों को आगे के विकास के बारे में और 2 अगस्त, 2021 को प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन द्वारा जारी प्रस्ताव पत्र के बारे में जानकारी दी। एस. सी. सी. ने प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को प्रासंगिक तथ्यों और बोली मेसर्स को रखने की सलाह दी।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

एन. सी. एल. टी. के समक्ष प्रतिवादी संख्या 7-वेलस्पन से प्राप्त। यह प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक का रुख है कि 9 अगस्त, 2021 को आयोजित सुनवाई में, एन. सी. एल. टी. ने मौखिक रूप से उसे प्रतिवादी संख्या 7-वेलस्पन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को हितधारकों के सामने रखने का निर्देश दिया था।

7. उपरोक्त निर्देश के अनुसार, 13 अगस्त, 2021 को एस. सी. सी. की एक बैठक आयोजित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि

लाभप्रद यदि दहेज सामग्री और शिपयार्ड को कम से कम संभव समय में हितधारकों को अधिकतम प्राप्ति और परिसंपत्तियों के त्वरित निपटान के लिए समग्र परिसंपत्तियों के रूप में बेचा जाता है। दूसरे शब्दों में, हितधारकों का विचार था कि दहेज सामग्री और शिपयार्ड की समग्र बिक्री अकेले दहेज सामग्री की बिक्री की तुलना में अधिक फायदेमंद होगी, जो दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया का विषय है। 8. 16 अगस्त, 2021 को प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन ने प्रत्यर्थी संख्या 2-लिक्विडेटर को एक बार फिर अपना प्रस्ताव बढ़ाते हुए एक ई-मेल भेजा।

निगमित देनदार की समेकित परिसंपत्तियों के लिए 650 करोड़ रुपये से 675 करोड़ रुपये। इसने इस आश्वासन के साथ कि 30 सितंबर, 2021 को या उससे पहले पूरा भुगतान किया जाएगा, ई. एम. डी. के रूप में ₹ 67.50 करोड़ की राशि का भुगतान करने की भी पेशकश की। उसी दिन, जब मामला एन. सी. एल. टी. के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, तो प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक ने एन. सी. एल. टी. को एस. सी. सी. द्वारा की गई सिफारिशों से अवगत कराया।

प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन से प्राप्त समेकित प्रस्ताव। नोट करना

उपरोक्त निवेदन कि दहेज सामग्री को हटाने में 15 से 20 महीने तक का समय लगेगा और उसके बाद ही, भूमि की बिक्री करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिससे पूरी प्रक्रिया में और देरी होगी।

परिसमापन प्रक्रिया और हितधारकों के विचार को ध्यान में रखते हुए एन. सी. एल. टी. ने 16 अगस्त, 2021 को एक आदेश पारित किया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 परिसमापक को निगमित ऋणदाता की सभी परिसंपत्तियों की निजी बिक्री करने और तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एस. सी. सी. के परामर्श से पूरी बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी गई। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को यह भी निर्देश दिया गया कि वे एन. सी. एल. टी. के समक्ष सभी पक्षों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दें।

अपील प्राधिकरण का आदेश (एन. सी. एल. ए. टी.)

9. यह उपरोक्त आदेश था जिसे अपीलार्थी आर. के. इंडस्ट्रीज द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है।

10 दिसंबर, 2021 का विवादित फैसला। हालाँकि, एन. सी. एल. ए. टी. ने [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा पारित 16 अगस्त, 2021 के आदेश को संशोधित किया है।

मैं प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को पूरे कार्य को पूरा करने का निर्देश देता हूं।

तीन सप्ताह के भीतर निम्नलिखित तरीके से बिक्रीः

" 39. उपर्युक्त निर्णयों के अनुपात से यह स्पष्ट है।

जो न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अपने आदेश के आधार पर दिया है, वह किसी विशेष पक्ष को कोई अनुग्रह प्रदान नहीं करता है। यह द्वारा संचालित है परिसंपत्तियों के मूल्य के अधिकतमकरण की दृष्टि खोए बिना परिसमापन प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने की हितधारकों की इच्छा। साथ ही,

हालांकि यह एक द्वारा बिक्री के विपरीत एक निजी बिक्री है

सरकारी प्राधिकरण, हमारी राय है कि

पारदर्शिता, निष्पक्षता और पारदर्शिता के मानक और मानदंड बिना किसी योग्यता के जिम्मेदारी ली जानी चाहिए।

या आरक्षण और सभी संभावित बोलीदाताओं को मिलना चाहिए

उन्हें भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सूचना और समय

प्रभावी तरीके से बोली लगाना। संभावित खरीदारों को उचित सूचना देने के बाद प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए न कि

कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित।

40. विवादित आदेश परिसमापक को न्यायिक प्राधिकरण के निर्णय की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर पूरी निजी बिक्री (डब्ल्यू. एस. आर. पी. एल. प्रस्ताव में निहित परिसंपत्तियों से संबंधित) को पूरा करने का निर्देश देता है।

आदेश दें। यह अतिरिक्त रूप से परिसमापक को उन पक्षों को अनुमति देने का निर्देश देता है जो सी. पी. (आई. बी.) संख्या 53 की सुनवाई में शामिल हैं। 2017 और संबंधित आई. ए. बिक्री प्रक्रिया में भाग लेंगे। हमारी राय है कि संयुक्त परिसंपत्तियों की बिक्री में केवल ऐसे पक्ष भाग ले रहे हैं जिन्होंने पहले ऐसा नहीं किया था

ई-नीलामी के पांच असफल दौरों में गहरी रुचि मूल्य अधिकतमकरण उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रक्रिया.

पर्याप्त तैयारी के साथ फिर से शुरू किया जाना चाहिए और उसके बाद

संभावित खरीदारों को खुली सूचना देना। हम भी उम्मीद करते हैं।

परिसमापक आई. बी. सी. और परिसमापन के प्रावधानों के अनुसार बिक्री प्रक्रिया शुरू करने और पूरी करने के लिए कदम उठाएगा।

बिना किसी पक्षपात और पूर्वाग्रह के और पारदर्शिता के साथ विनियम

और निष्पक्षता।

41. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम आंशिक रूप से निर्देश देते हैं

आक्षेपित आदेश का संशोधन, कि जबकि दूसरा

स्विस चैलेंज प्रोसेस रद्द, निजी बिक्री प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए

इसके पूर्ववर्ती अनुच्छेद में निहित निर्देश

प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अनुसार निर्णय "।

(जोर दिया गया)

अपील

10. यह उपरोक्त आदेश है जिसने अपीलार्थी-आर. के. को लाया है।

उद्योगों ने इस अदालत में इस शिकायत के साथ कहा कि एन. सी. एल. ए. टी. के लिए दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के बजाय कॉर्पोरेट देनदार की समग्र परिसंपत्तियों की निजी बिक्री की प्रक्रिया की अनुमति देने का कोई उचित कारण नहीं था। जहां तक वेलस्पन, 2021 की सिविल अपील संख्या 7722 में प्रत्यर्थी संख्या 7 और 2021 की सिविल अपील संख्या 7731 में अपीलार्थी के संबंध में, उठाई गई सीमित शिकायत, आक्षेप के अंतिम पैराग्राफ में जारी निर्देशों के संबंध में है।

प्रक्रिया में पहले भाग लेने वाले पक्षों तक सीमित रहने के बजाय सभी संभावित खरीदारों को एक खुला नोटिस जारी करने के बाद निजी बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय।

अपील के विषय-आर. के. उद्योग

11. अपीलार्थी की ओर से तर्क देना-आर. के. उद्योग, श्री गौरव

मित्रा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने निगमित ऋणदाता की समग्र परिसंपत्तियों की निजी बिक्री के लिए जाने के एन. सी. एल. टी. के आदेश को बनाए रखने में गलती की है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा पहले आयोजित ई-नीलामी के पांच चरणों में घोषित आरक्षित मूल्य पर इसके लिए कोई खरीदार नहीं थे। यह दावा करते हुए कि

जब आक्षेपित क्रम में कोई आरोप या टिप्पणियां नहीं की जाती हैं कि स्विस प्रक्रिया चुनौती अनियमित या अनुचित थी, तो वहाँ

उक्त प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं था, जिसे मार्च, 2021 में दूसरी बार शुरू किया जा चुका था, जिसमें अपीलार्थी को एंकर बोलीदाता घोषित किया गया था, जिससे उसे पहले बोली लगाने का अधिकार दिया गया था। दहेज सामग्री के संबंध में इनकार 1 4। आक्षेपित आदेश में की गई

टिप्पणियों में त्रुटि ढूंढना कि परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में हितधारकों के विचार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे परिसमापन प्रक्रिया के अंतिम लाभार्थी हैं और एक महत्वपूर्ण अवधि है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

समय पहले से ही किसी भी बिना परिसमापन प्रक्रिया में खर्च किया गया था

फलदायी परिणाम, यह अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि

उपरोक्त टिप्पणियां परिसमापन विनियमों के विनियम 31-ए और आई. बी. सी. की धारा 35 (2) के विपरीत हैं जो स्पष्ट रूप से बताती हैं कि एस. सी. सी. के विचार परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं हैं। यह आग्रह किया गया कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक को स्विस चुनौती प्रक्रिया को अंतिम चरण में समाप्त करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि उक्त समाप्ति से सभी संबंधित पक्षों को और देरी होगी और भारी वित्तीय नुकसान होगा। के समर्थन में

प्रस्तुत करना कि स्विस चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री को अदालतों द्वारा मूल्य के अधिकतमकरण के एक उपयोगी तरीके के रूप में मान्यता दी गई है, रवि विकास बनाम पर निर्भरता रखी गई है। कृष्ण परिषद और अन्य 1 5.

12. इसके बाद अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यर्थी No.20-परिसमापक पांच अवसरों पर उसके द्वारा की गई ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल होने में विफल रहने के कारण, उसने

स्वयं निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के परिसमापन के लिए स्विस चुनौती प्रक्रिया का समर्थन किया और इसलिए, उन्हें उक्त प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ने और निगमित देनदार की समग्र परिसंपत्तियों की निजी बिक्री करने की अनुमति लेने के लिए एन. सी. एल. टी. से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। यह तर्क दिया गया था कि एनसीएलएटी विफल रहा है

इस बात की सराहना करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन को भी प्रतिवादी संख्या 2-लिक्विडेटर द्वारा आयोजित पिछली ई-नीलामी में भाग लेने का पूरा अवसर मिला था और दहेज सामग्री के संबंध में दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया में भी भाग लेने का मौका मिला था और ऐसा न करने का फैसला करने के बाद, यह उनका पहला प्रस्ताव था

19 मई, 2021 को देर से किए गए, 16 अगस्त, 2021 को किए गए अंतिम प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

उत्तरदाता सं. 2-समतुल्य की प्रस्तुतियाँ

13. प्रत्यर्थी सं. 2-परिसमापक के आचरण पर भी अपीलार्थी द्वारा इस आधार पर सवाल उठाया गया है कि शुरू में उसने प्रत्यर्थी सं. 7 वेलस्पन द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकार करने से बार-बार इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में उसने निगमित देनदार की समग्र परिसंपत्तियों को उक्त प्रत्यर्थी को हस्तांतरित करने के प्रयास में पूर्ण 'यू' मोड़ लिया।

और इस उद्देश्य के लिए, बोली दस्तावेजों को प्रतिवादी संख्या 7 के पक्ष में तैयार किया गया है। यह तर्क दिया गया था कि केवल इसलिए कि दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया की शर्तें प्रत्यर्थी को अधिकार देती हैं

15 (2009) 7 एससीसी 462 एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

सं. 2-किसी भी स्तर पर उक्त प्रक्रिया को छोड़ने/रद्द करने/समाप्त करने/माफ करने के लिए परिसमापक, मनमाने तरीके से ऐसा कदम उठाने का आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि तत्काल मामले में किया गया है, विशेष रूप से तब जब पूरी बिक्री प्रक्रिया लगभग बंद हो गई थी जब प्रतिवादी सं. 7 -

वेलस्पन ने कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की समग्र बिक्री की मांग करते हुए अचानक हस्तक्षेप किया। अंत में, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि एन. सी. एल. ए. टी. ने यह निर्देश देने में गलती की है कि एक नई बोली लगाई जानी चाहिए। इसके बजाय, अपीलकर्ता को एंकर बोलीदाता होने के नाते, दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को समाप्त किए बिना प्रस्तुत की गई उच्चतम बोली का मिलान करने का लाभ दिया जाना चाहिए।

14. श्री अरविंद दातार और श्री सावला, प्रतिवादी संख्या 2-लिक्विडेटर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इस मामले को पीछे हटाने की मांग की।

अपीलार्थी की ओर से तर्क दिए गए और कहा गया कि

प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने आई. बी. सी. और परिसमापन विनियमों के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए हर कदम पर हितधारकों के परामर्श से और निगमित ऋणदाता के सर्वोत्तम हित में निगमित ऋणदाता की परिसमापन प्रक्रिया का संचालन किया था। आई. बी. सी. के तहत परिसमापक के आदेश पर जोर देना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए, यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक का पूरा इरादा निगमित देनदार की समेकित परिसंपत्तियों को बेचना था और इस दिशा में, उनके द्वारा पांच ई-नीलामी आयोजित की गई थी। पहली दो ई-नीलामियों में, कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को समग्र रूप से बेचने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की पेशकश करने का फैसला किया

कम्पोजिट के अलावा अकेले या छोटे लॉट में बिक्री के लिए। तीसरी, चौथी और पांचवीं ई-नीलामी प्रक्रियाओं में उपरोक्त मार्ग को अपनाने के बावजूद, नीलामी की बिक्री बढ़ने में विफल रही और निगम की कोई भी संपत्ति नहीं थी।

मुंबई और अहमदाबाद में स्थित दो आवासीय अपार्टमेंटों को छोड़कर कर्जदार का परिसमापन किया जा सकता था। पाँच असफल नीलामियों के बाद ही प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने परिसमापन विनियमों के विनियमन 33 (2) (डी) के संदर्भ में निजी बिक्री के माध्यम से कॉर्पोरेट ऋणदाता की संपत्तियों को बेचने की अनुमति के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसकी विधिवत अनुमति दी गई थी। 15. यह तर्क देते हुए कि अपीलार्थी को इस बात पर जोर देने का कोई अधिकार नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को समाप्त करना चाहिए था जब एक उच्च प्रस्ताव उपलब्ध था और हितधारकों द्वारा विधिवत सिफारिश की गई थी, विद्वान वकील ने [2022] 12 एस. सी. आर. के कार्यवृत्त का हवाला दिया।

13 अगस्त, 2021 को आयोजित हितधारकों की बैठक में हितधारकों के इस विचार को दर्ज किया गया कि दहेज परिसंपत्तियों की समग्र बिक्री

स्विस चैलेंज प्रक्रिया के तहत निर्धारित बिक्री का विरोध करना कहीं अधिक फायदेमंद होगा और गारंटी में अधिकतम वसूली की ओर ले जाएगा।

समय सीमा और यह कि कम से कम संभव समय में बिक्री आय की प्राप्ति की निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए उक्त रणनीति को अपनाया जाना चाहिए। यह कहा गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक केवल हितधारकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संदर्भ में कार्य कर रहे थे जो तर्क और तर्क के साथ खड़े थे और उक्त विचार को दोनों, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का भी समर्थन मिला है।

16. जहां तक अपीलार्थी द्वारा की गई याचिका का संबंध है कि दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को इसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए था और इसे बीच में ही छोड़ दिया जाना चाहिए था, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने भाग लिया था और दूसरे में एक एंकर बोलीदाता के रूप में चुना गया था। स्विस चुनौती प्रक्रिया का मतलब यह नहीं है कि उसे अपने पक्ष में निष्कर्ष निकालने का कोई निहित अधिकार है। इसके अलावा, उक्त प्रक्रिया

इसमें दो-चरण की बोली शामिल है और दूसरा चरण जिसमें अपीलार्थी द्वारा एंकर बोलीदाता के रूप में दी गई बोली का मिलान करने के लिए जनता के लिए प्रक्रिया को खोलना शामिल है, समाप्त नहीं किया गया था। लक्ष्मीकांत और अन्य बनाम में निर्णयों पर भरोसा करना। सत्यवान और अन्य और राज्य झारखंड और अन्य बनाम। सी. डब्ल्यू. ई.-सोमा कंसोर्टियम 1 7 में यह दावा किया गया कि चूंकि दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, इसलिए अपीलकर्ता के पक्ष में कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।

न्यायालय में प्रवर्तन।

17. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि एंकर बोली दस्तावेज़ की शर्तों को स्वीकार करने के बाद, अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक के निर्णय को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को रद्द करना पड़ा था। इस संदर्भ में, अपीलार्थी द्वारा 23 मार्च, 2020 को प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र का संदर्भ दिया गया था, जिसमें उसने

16 (1996) 4 एससीसी 208 17 (2016) 14 एससीसी 172 एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

प्रक्रिया यदि निविदा दस्तावेज अनुमति देते हैं, तो विद्वान वकील ने सी. डब्ल्यू. ई.-सोमा कंसोर्टियम (ऊपर); टाटा सेल्युलर बनाम का हवाला दिया है। भारत संघ 1 8 और एयर इंडिया बनाम। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और अन्य "। मोंटेकार्लो लिमिटेड बनाम में निर्णय। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 0 और अगमाटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड v. इस निवेदन के समर्थन में रिसोर्सेज टेलीकॉम और अदर्स 21 पर भरोसा किया गया है कि अदालतों को निविदा दस्तावेज की व्याख्या से संबंधित मामलों में संयम दिखाना चाहिए और निविदा जारी करने वाली एजेंसी अपनी आवश्यकताओं को तय करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। 18. अपीलार्थी की ओर से की गई प्रस्तुति का खंडन करते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने इसके लिए एक अनुचित प्रक्रिया अपनाई है

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की निजी बिक्री का संचालन करते हुए, विद्वान वकील ने जोर देकर कहा कि परिसमापक की ओर से कोई दुर्भावना नहीं है

दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लेने के बाद नई बोलियों को आमंत्रित करने में जब हितधारकों से विधिवत परामर्श किया गया था और उन्होंने सर्वसम्मति से निजी बिक्री के लिए जाने की राय व्यक्त की थी

निगमित देनदार की समग्र परिसंपत्तियाँ। यह बताया गया कि मई, 2021 में प्रतिवादी संख्या 7-वेलस्पन से एक प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद भी, प्रतिवादी संख्या 2-लिक्विडेटर ने दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को रद्द करने का एकतरफा निर्णय नहीं लिया। बल्कि उन्होंने 6 अगस्त, 2021 को हरी झंडी मिलने के बाद ही हितधारकों से संपर्क किया

उनसे, वह मामले को एन. सी. एल. टी. में ले गया। परिसमापन विनियमों की अनुसूची I, खंड 2 (3) की शर्तों का उल्लेख करते हुए, यह तर्क दिया गया कि संभावित खरीदारों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से या एजेंटों के माध्यम से निजी बिक्री की अनुमति है। न्यायालय का भी ध्यान आकर्षित किया गया था कि परिसमापन विनियमों का विनियम 4 जिसमें परिसमापन प्रक्रिया को दो साल के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है और यह प्रस्तुत किया गया था कि

कॉरपोरेट देनदार के परिसमापन का आदेश 24 मई, 2019 को पारित किया गया था और तब से तीन साल पहले ही समाप्त हो चुके हैं और यदि दहेज की भूमि और कबाड़ को अलग से बेचने का निर्देश दिया जाता है, तो दहेज शिपयार्ड से सामग्री को हटाने के लिए कम से कम 15 से 18 महीने की अवधि की आवश्यकता होगी, जिससे दहेज की भूमि और भवनों की बिक्री में देरी होगी।

निगमित देनदार और उसकी परिसंपत्तियों के मूल्य को प्रभावित करना।

19. प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक की ओर से उठाई गई एकमात्र शिकायत विवादित आदेश में जारी निर्देशों के संबंध में है।

18 (1994) 6 एस. सी. सी. 651

9 (2000) 2 एस. सी. सी. 617

20 (2016) 15 एससीसी 272 21 (2022) 5 एससीसी 362 [2022] 12 एस. सी. आर.

उनसे 24 अगस्त को निजी बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का आह्वान करते हुए,

2021 सभी संभावित खरीदारों को एक खुली सूचना देने के बाद। प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन (2021 की सिविल अपील संख्या 7731 में अपीलकर्ता) द्वारा लिए गए इसी तरह के रुख का समर्थन करते हुए कि ऐसा कोई भी कदम परिसमापन प्रक्रिया में देरी करेगा और इसके परिणामस्वरूप खुली नीलामी के चरण में वापस आ जाएगा, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि जो प्रक्रिया चुनौती के तहत है वह निजी बिक्री प्रक्रिया है जिस पर परिसमापन विनियमों के विनियमन 33 (2) में विधिवत विचार किया गया है और जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बाद के विकास का संदर्भ दिया गया जहां वित्तीय लेनदारों की मुख्य समिति ने 15 तारीख को एक बैठक आयोजित की

दिसंबर, 2021 में, विवादित आदेश पारित होने के बाद और एक सर्वसम्मत विचार व्यक्त किया था कि निजी बिक्री प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए कि खरीदार खोजने में लगभग तीन साल लग गए हैं और यह बंद होने के चरण में है। 15 दिसंबर, 2021 को आयोजित कोर कमेटी के कार्यवृत्त की एक प्रति, प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा दायर आई. ए. No.34322/2022 (अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति के लिए आवेदन) के साथ संलग्न की गई है।

उत्तरदाता सं. की प्रस्तुतियाँ। 7- वेलस्पन

20. श्री अमन राज गांधी, वेलस्पन के विद्वान वकील, 2021 की सिविल अपील संख्या 7722 में प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत तर्क और 2021 की सिविल अपील संख्या 7731 में अपीलार्थी मोटे तौर पर उसी तर्ज पर हैं जो प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक की ओर से दी गई हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता तब से बोली प्रक्रिया में शामिल था

मार्च, 2021 में उन्हें साइट का दौरा करने और प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित समेकित परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने के लिए उचित परिश्रम करने का पूरा अवसर मिला, लेकिन यह ऐसा करने में विफल रहा कि आज तक भी, अपीलकर्ता ने कॉर्पोरेट देनदार की समेकित परिसंपत्तियों के लिए बोली लगाने में कोई रुचि नहीं दिखाई है; कि अपीलकर्ता का पूरा प्रयास विलम्बकारी रणनीति का सहारा लेना और परिसमापन प्रक्रिया को रोकना है; कि पहले भी, वेलस्पन को संपर्क करने के लिए विवश किया गया था

इस न्यायालय ने अपीलार्थी के उपरोक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए 2021 की सिविल अपील संख्या 5855 के माध्यम से और 21 सितंबर, 2021 को इस न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किए जाने के बाद ही एन. सी. एल. ए. टी. से अपीलार्थी द्वारा की गई अपील का दो महीने के भीतर निपटारा करने का अनुरोध किया कि विवादित आदेश पारित किया गया है जिसे बरकरार रखा जाना चाहिए, सिवाय इसके कि एन. सी. एल. ए. टी. ने निजी बिक्री प्रक्रिया को इस हद तक निर्देशित किया है कि -

संभावित खरीदारों को खुली सूचना देने के बाद फिर से शुरू करें।

एम/एस। आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

किसी भी तर्क से रहित होने के कारण अलग रखा जाए। इसके अलावा, उक्त निर्देश एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित किया गया है जब कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ इससे पहले कि उसने ऐसी कोई राहत मांगी थी। स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड और अनदर वी में निर्णय का हवाला देते हुए। भारत संघ और अन्य 22 और

ईबीआईएक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम। एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और अन्य 23 के लेनदारों की समिति, जिसमें यह देखा गया है कि परिसमापन प्रक्रिया में देरी के परिणामस्वरूप निगमित ऋणदाता के मूल्य में कमी और कम प्राप्ति होती है, वेलस्पन के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य को संरक्षित करना और समय को पीछे रखने के बजाय इसे आगे बढ़ाते हुए और प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को नए सिरे से शुरू करने का निर्देश देते हुए प्राप्ति प्रक्रिया में तेजी लाना अनिवार्य है। वास्तव में, उपरोक्त दिशा इसे 'निजी बिक्री' और 'सार्वजनिक नीलामी' की दो अलग-अलग अवधारणाओं के मिश्रण के रूप में वर्णित करने की मांग की गई थी और यह प्रस्तुत किया गया था कि 'खुली सूचना' जारी करना निजी बिक्री के उद्देश्य के विपरीत है। वेलस्पन के विद्वान वकील ने जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम में हाल के एक निर्णय का हवाला देते हुए निष्कर्ष निकाला। एन. बी. सी. सी. (इंडिया) लिमिटेड और अन्य 2 4 जहां आई. बी. सी. के उद्देश्य पर जोर दिया गया है कि सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए मूल्य परिसंपत्तियों के अधिकतमकरण के लिए समयबद्ध तरीके से समाधान/परिसमापन सुनिश्चित किया जाए। यह आग्रह किया गया कि चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने हितधारक समेकन समिति के परामर्श से निजी बिक्री द्वारा समग्र आधार पर निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों को बेचने का निर्णय लिया है, इसलिए एन. सी. एल. ए. टी. को ऐसा करने के लिए कोई औचित्य पेश किए बिना एस. सी. सी. के वाणिज्यिक ज्ञान को अपने दृष्टिकोण से प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए था।

जवाब संख्या 8-मेसर्स कैंटर

स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

21. श्री गौरव माथुर, प्रतिवादी संख्या 8 एम/एस के विद्वान वकील। कैंटर स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी इसका समर्थन किया है

प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन की ओर से प्रस्तुतियाँ और

22 (2019) 4 एससीसी 17

23 (2022) 2 एस. सी. सी. 401

24 (2022) 1 एससीसी 401 [2022] 12 एस. सी. आर.

उन्होंने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 2 परिसमापक द्वारा शुरू की गई निजी बिक्री प्रक्रिया में बड़े के लिए अधिक मूल्य प्राप्त करने की क्षमता है। -

निगमित देनदार के हितधारकों की भलाई और इसे जारी रखा जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया के तहत 431 करोड़ रुपये के प्रस्ताव का उल्लेख करते हुए, यह कहा गया कि यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा घोषित 460 करोड़ रुपये के आधार मूल्य से कम था और अपीलार्थी ने बिक्री प्रक्रिया दस्तावेजों में निर्धारित समयसीमा का भी स्पष्ट उल्लंघन किया था। एंकर बोलीदाता के लिए बिक्री प्रक्रिया दस्तावेज़ में बयाना राशि जमा करने की समय सीमा 24 मार्च, 2021 तय की गई थी। 00 पी. एम. जबकि, अपीलार्थी ने स्वीकार किया कि उसके दो दिन बाद, 26 मार्च, 2021 को बकाया राशि जमा की थी, जो स्वयं प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक के लिए सीमा पर अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार था। यह था।

प्रत्यर्थी संख्या 8 और अन्य पक्षों द्वारा एन. सी. एल. टी. के समक्ष लिया गया जो तब तक लंबित थे जब मामला अंततः एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा तय किया गया था। इस प्रकार यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी ने भाग लिया है बोली प्रक्रिया में खुली आँखों के साथ और बिना किसी विरोध के, अब यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि बोली प्रक्रिया में इसकी भागीदारी के कारण इसके पक्ष में एक निहित अधिकार बनाया गया है।

आवेदन/मध्यस्थ की प्रस्तुति, कीरी

इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (आई. ए. NO.166862/2021) 22. आवेदक-कीरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि आवेदक ने एक आवेदन दायर किया था

23 नवंबर, 2021 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के समक्ष अभियोग की मांग करते हुए दहेज सामग्री, शिपयार्ड भूमि और भवनों को खरीदने के लिए 680 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था। साथ ही, आवेदक द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष इसी तरह का आवेदन दायर किया गया था। हालाँकि, उक्त आवेदन तब रिकॉर्ड में नहीं था जब कंपनी की अपील को 24 नवंबर, 2021 को एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिस तारीख को, 10 दिसंबर, 2021 को पारित किए गए विवादित फैसले के बाद अपील में आदेश सुरक्षित रखे गए थे। आवेदक वर्तमान अपील में पक्ष लेने की मांग करता है और विवादित फैसले का इस हद तक समर्थन करता है कि एन. सी. एल. ए. टी. ने प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक को संभावित खरीदारों को एक खुला नोटिस जारी करने के बाद बिक्री प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया था, जिससे आवेदक को बोली जमा करने का अवसर मिलता है।

निगमित देनदार की समेकित परिसंपत्तियाँ इस दलील पर कि अब तक इसका प्रस्ताव सबसे अधिक है।

एम/एस। आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

विश्लेषण

23. हमने विवादित फैसले के साथ-साथ रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है और पक्षों के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इन अपीलों में विचार के लिए केवल दो बिंदु सामने आते हैं। सबसे पहले, क्या प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के एक हिस्से की बिक्री के लिए दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को बंद करने में उचित ठहराया गया था, जिसमें अपीलकर्ता-आर. के. इंडस्ट्रीज को एक एंकर बोलीदाता के रूप में घोषित किया गया था और निगमित ऋणदाता की समग्र परिसंपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से एक निजी बिक्री प्रक्रिया का विकल्प चुना गया था? यदि ऐसा है, तो क्या प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को निर्देश देने में एन. सी. एल. ए. टी. उचित था

प्रक्रिया को उन पक्षों तक सीमित रखने के बजाय संभावित खरीदारों को एक खुला नोटिस जारी करने के बाद निजी बिक्री की पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करें जिन्होंने पहले प्रक्रिया में भाग लिया था।

परिसंपत्तियों की बिक्री के संचालन के लिए एक परिसमापक से आगे बढ़ने की उम्मीद करने के तरीके की बेहतर समझ के लिए विनियम परिसमापन में निगमित देनदार।

25. दिवाला और दिवालियापन समाधान के अपर्याप्त और अप्रभावी ढांचे के प्रति सचेत, सरकार ने निर्णय लिया दिवाला व्यवस्था में सुधार करना। इस दिशा में कई दौर के विचार-विमर्श और परामर्श हुए, जिसके बाद प्रस्तुतियां दी गईं

समिति की रिपोर्ट, उनमें से प्रमुख दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट 2 5 खंड I है: नवंबर, 2015-26 का तर्क और डिजाइन। जैसा कि इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड v. में देखा गया है। आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक और अन्य ", संसद का उद्देश्य एक ऐसे कानून को संहिताबद्ध करना था जो संपूर्ण दिवाला और दिवालियापन व्यवस्था को एक छतरी के नीचे लाए और प्रक्रिया को तेज करे। 26. आई. बी. सी. को अधिनियमित करने के लिए विधायिका पर प्रबल उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

" 12. ..... संहिता के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:

25 संक्षेप में 'बी. एल. आर. सी.' 26 दिवालियापन और विधि सुधार समिति की रिपोर्ट खंड। आई: तर्क और डिजाइन, यहाँ उपलब्ध है <HTTPS: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. में/अपलोड/संसाधन /

बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट मतदान _ 04112015। पीडीएफ>,

27 (2018) 1 एससीसी 407 [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण-भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो दिवालियापन और दिवालियापन से संबंधित हो। कंपनियों के लिए दिवाला और दिवालियापन से संबंधित प्रावधान बीमार औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 और कंपनी अधिनियम, 2013 में पाए जा सकते हैं। इन कानूनों में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी. आई. एफ. आर.), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डी. आर. टी.) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और उनके संबंधित अपीलीय न्यायाधिकरणों जैसे कई मंचों के निर्माण का प्रावधान है। कंपनियों के परिसमापन को उच्च न्यायालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। व्यक्तिगत दिवालियापन और दिवालियापन से प्रेसीडेंसी के तहत निपटा जाता है

नगर दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 और न्यायालयों द्वारा निपटा जाता है। दिवाला और दिवालियापन के लिए मौजूदा ढांचा अपर्याप्त, अप्रभावी है और इसके परिणामस्वरूप समाधान में अनुचित देरी होती है, इसलिए, प्रस्तावित

कानून।

2. दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2015 का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान, साझेदारी से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना है।

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से फर्मों और व्यक्तियों को बढ़ावा देना।

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता और संतुलन

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता में परिवर्तन और दिवाला और दिवालियापन कोष की स्थापना और उससे जुड़े या उससे आनुषंगिक मामलों सहित सभी हितधारकों के हित। एक प्रभावी कानूनी ढांचा

दिवाला और दिवालियापन के समय पर समाधान से ऋण बाजारों के विकास में सहायता मिलेगी और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। इससे ईज ऑफ डूइंग में भी सुधार होगा।

व्यापार, और अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करना जिससे उच्च आर्थिक विकास और विकास होता है।

3. संहिता में दिवाला, परिसमापन और दिवालियापन के समाधान के लिए एन. सी. एल. टी. और डी. आर. टी. को क्रमशः निगमित व्यक्तियों और फर्मों और व्यक्तियों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरणों के रूप में नामित करने का प्रावधान है। संहिता दिवाला और दिवालियापन की कार्यवाही के वाणिज्यिक पहलुओं को न्यायिक पहलुओं से अलग करती है।

एम/एस। आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

संहिता दिवाला पेशेवरों, दिवाला पेशेवर एजेंसियों और सूचनाओं के विनियमन के लिए भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (बोर्ड) की स्थापना का भी प्रावधान करती है। उपयोगिताएँ। बोर्ड की स्थापना होने तक, केंद्र सरकार बोर्ड की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी या बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करने के लिए किसी भी वित्तीय क्षेत्र के नियामक को नामित करेगी। दिवाला पेशेवर संहिता में परिकल्पित दिवाला समाधान, परिसमापन और दिवालियापन कार्यवाही को पूरा करने में सहायता करेंगे। सूचना उपयोगिताएँ इस तरह की कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय जानकारी एकत्र करेंगी, एकत्रित करेंगी, प्रमाणित करेंगी और प्रसारित करेंगी। संहिता में एक कोष स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिसे कहा जाएगा

संहिता में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए भारत की दिवाला और दिवालियापन निधि।

4. संहिता में भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993, वित्त अधिनियम, 1994, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002, बीमार औद्योगिक कंपनियां (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, सीमित देयता भागीदारी में संशोधन का प्रावधान है। अधिनियम, 2008 और कंपनी अधिनियम, 2013।

5. संहिता उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है।

" संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान,

सरकारी देय राशि के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और संबंधित मामलों सहित सभी हितधारकों के लिए इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

28. ई. बी. आई. एक्स. सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (ऊपर) में, क़ानून की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देने के लिए आई. बी. सी. के मुद्दे पर चर्चा करते हुए, न्यायालय ने कहा हैः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 96. ..... आई. बी. सी. को एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में पेश किया गया था भारत में दिवाला कानून जो 2013 के अधिनियम, एस. आई. सी. ए., एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई., ऋण वसूली अधिनियम, प्रेसीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909 और प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920 जैसे कई अलग-अलग कानूनों के तहत प्रक्रियाओं को एक ही संहिता में समेकित करता है। पुनर्गठन और परिसमापन के बीच सुचारू परिवर्तन के साथ एक व्यापक और समयबद्ध ढांचा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सभी व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना और

सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना "

29. निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के आई. बी. सी. के अंतर्निहित उद्देश्य को स्विस ऑन प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में निम्नलिखित शब्दों में उजागर किया गया है:

" 27. जैसा कि स्पष्ट है, प्रस्तावना इस बात की अंतर्दृष्टि देती है कि संहिता द्वारा क्या हासिल करने की कोशिश की जाती है। संहिता सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, कॉर्पोरेट के पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए एक संहिता।

कर्जदार। जब तक इस तरह का पुनर्गठन समयबद्ध तरीके से नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्य कम हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य का अधिकतमकरण

सभी हितधारकों के हितों की देखभाल निगमित देनदार के रूप में की जाती है। स्वयं समाधान योजना का लाभार्थी बन जाता है-श्रमिकों को भुगतान किया जाता है, लंबे समय में लेनदारों को पूरा भुगतान किया जाएगा, और शेयरधारक/निवेशक अपने निवेश को अधिकतम करने में सक्षम होंगे। एक कॉर्पोरेट देनदार का समय पर समाधान, जो एक प्रभावी कानूनी ढांचे द्वारा संकट में है, ऋण बाजारों के विकास का समर्थन करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। चूंकि अधिक निवेश किया जा सकता है

अर्थव्यवस्था, व्यवसाय में वापस आने वाले धन से बनाया गया

फिर आसानी होती है, जो कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आर्थिक विकास और विकास की ओर ले जाती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रस्तावना किसी भी तरह से परिसमापन का उल्लेख नहीं करती है, जिसका उपयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है यदि एम/एस हो।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

या तो कोई समाधान योजना नहीं है या प्रस्तुत की गई समाधान योजनाएं सही नहीं हैं। परिसमापन में भी परिसमापक बेच सकता है

एक चालू चिंता के रूप में निगमित देनदार का व्यवसाय।

30. बी. एल. आर. सी. में परिसमापन प्रक्रिया की चर्चा अध्याय 5 में की गई है और समय की टिप्पणियों पर बहुत जोर दिया गया है।

निम्नलिखित शब्दों में मान 28:

" 5.5 एक समयबद्ध, कुशल परिसमापन परिसमापन वह स्थिति है जिसमें इकाई आई. आर. पी. के अंत में प्रवेश करती है, जहां न तो लेनदार और न ही देनदार आम तौर पर सहमत ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

समाधान जिसके द्वारा इकाई को एक चालू चिंता के रूप में रखा जाए। भारत में, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि परिसमापन दिवालियापन प्रक्रिया में एक कमजोर कड़ी है और एक मजबूत कानूनी ढांचे को सुनिश्चित करने के हिस्से के रूप में इसे मजबूत किया जाना चाहिए। परिसमापन में प्रक्रिया प्रवाह दिवालियापन के समाधान के साथ कुछ उद्देश्यों को साझा करता है। समय मूल्य का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण है, और सामूहिक कार्रवाई के तहत कुशल परिणाम अगला है, जो दोनों महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं।

कार्यान्वयन, विशेष रूप से एक ऐसे वातावरण में जहां ऋणदाताओं के पास इकाई की परिसंपत्तियों पर अलग-अलग अधिकार हैं, जानकारी असममित है, और शासन और प्रवर्तन पारंपरिक रूप से कमजोर रहा है।

इंडिया2 9, यह जाँचते हुए कि क्या एस. सी. सी. की भूमिका होनी चाहिए आई. बी. सी. को वैधानिक बनाने के लिए इसकी समीक्षा की जाए और उपयुक्त प्रावधान लागू किए जाएं।

मान्यता, समिति ने देखा कि बी. एल. आर. सी. ने सी. आई. आर. पी. को कॉर्पोरेट ऋणदाता के लेनदारों द्वारा संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया है, परिसमापन प्रक्रिया को परिसमापक द्वारा संचालित किया जाता है। इसलिए, अधिनियम परिसमापन प्रक्रिया में लेनदारों की समिति पर विचार नहीं करता है। इस अवधि के दौरान निर्णय लेने में लेनदारों की भागीदारी की भूमिका सीमित होती है।

उक्त प्रक्रिया। वास्तव में, दिवाला कानून पर UNCITRAL विधायी मार्गदर्शिका भी स्वीकार करती है कि आम तौर पर लेनदारों के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है कि 28 5.5 , दिवालियापन कानून सुधार समिति की रिपोर्ट, खंड। 1 : तर्कसंगत और डिजाइन (नवंबर 2015), पर उपलब्ध है //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. इन/अपलोड/संसाधन/बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट मतदान 04112015. पी. डी. एफ.>, अंतिम बार पहुँचा गया 06-07-2022।

29 दिवाला विधि समिति की पांचवीं रिपोर्ट, मई, 2022 भारत सरकार के निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। //डब्ल्यू. डब्ल्यू. आईबीबी। गव. इन/अपलोड/संसाधन/एफ 841 ए 45902 डी901 ईएफ 311 एफई 6 डी76127 डी094। पी. डी. एफ.>, अंतिम बार पहुँचा गया 06-07-2022 [2022] 12 एस. सी. आर.

परिसमापन प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही में हस्तक्षेप करें या निर्णय लेने में भाग लें क्योंकि उक्त प्रक्रिया परिसमापक द्वारा संचालित होती है। UNCITRAL लेजिस्लेटिव गाइड द्वारा दिया गया सुझाव यह है कि परिसमापन कार्यवाही के संदर्भ में परिसंपत्तियों की बिक्री जैसे उदाहरणों में, लेनदारों को इस तरह की बिक्री से रिटर्न के मूल्य को बढ़ाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है।

32. वह समय दिवालियापन और परिसमापन प्रक्रिया का सार है और आई. बी. सी. के माध्यम से नई दिवालियापन व्यवस्था शुरू करने के लिए विधायिका के साथ वजन करने वाले सर्वोपरि कारकों में से एक है, जिसे बी. एल. आर. सी. द्वारा संदर्भित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "जिस तेजी के साथ परिसमापन चेहरे को सबसे कुशल तरीके से पूरा किया जा सकता है जैसा कि हमेशा परिसमापक पर निर्भर करता है"। भारत में दिवालियापन प्रणालियों के खराब कार्यान्वयन में पहचानी गई केंद्रीय समस्याओं में से एक परिसमापक रही है। यह रेखांकित किया गया है कि दिवालियापन संहिता के काम में तेजी लाना कितना महत्वपूर्ण था और इसके क्या लाभ हैं। ऐसी तेज गति वाली प्रक्रिया। उल्लेखनीय है कि बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट 3 ओ. के कार्यकारी सारांश में "गति सार की है" पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

" दिवालियापन संहिता के काम करने के लिए गति दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, जबकि "शांत अवधि" एक संगठन को चालू रखने में मदद कर सकती है, स्वामित्व और नियंत्रण की पूरी स्पष्टता के बिना, महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व के बिना, फर्म क्षीण हो जाएगी और विफल हो जाएगी। देरी जितनी लंबी होगी, उतनी ही अधिक संभावना है कि परिसमापन ही एकमात्र जवाब होगा। दूसरा, परिसमापन मूल्य समय के साथ उतनी ही परिसंपत्तियों के रूप में कम होता जाता है

मूल्यह्रास की उच्च आर्थिक दर से पीड़ित हैं।

लेनदारों के दृष्टिकोण से, एक अच्छी प्राप्ति आम तौर पर प्राप्त की जा सकती है यदि फर्म को एक चालू संस्था के रूप में बेचा जाता है। इसलिए, जब विलम्ब परिसमापन को प्रेरित करता है, तो मूल्य विनाश होता है। इसके अलावा, परिसमापन में भी, देरी होने पर प्राप्ति कम होती है। अतः विलम्ब मूल्य विनाश का कारण बनता है। इस प्रकार, एक उच्च वसूली दर प्राप्त करना मुख्य रूप से स्रोतों की पहचान करने और उनका मुकाबला करने के बारे में है।

देरी "।

33. पिछले अनुभव से यह देखा गया है कि न्यायिक देरी दिवाला प्रक्रिया की विफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। इस प्रकार, बी. एल. आर. सी. रिपोर्ट में परिसमापन में तेजी लाने पर बहुत जोर दिया गया था।

30 HTTPS: //इबिबि। गव. में/BLRCReportVol1 _ 04112015।

पी. डी. एफ. एम/एस. आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

यह सुनिश्चित करने के लिए कि समय अंतराल के कारण निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियाँ नष्ट या मूल्यह्रास न हों, देरी को कम करने की प्रक्रिया। एक बार जब सी. आई. आर. पी. का चरण समाप्त हो जाता है और परिसमापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो यह महत्वपूर्ण है कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के परिसमापन में कम से कम समय बर्बाद हो। कारण देखने के लिए दूर नहीं हैं। परिसमापन की एक त्वरित, सुचारू और निर्बाध प्रक्रिया परिसमापन में निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट को रोकने में एक लंबा रास्ता तय करती है और हितधारकों को अधिकतम रिटर्न देने की संभावना को बढ़ाती है।

34. इस विशेष अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हम सीधे आई. बी. सी. के अध्याय III की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि

परिसमापन की शुरुआत के चरण से लेकर निगमित ऋणदाता के विघटन के चरण तक परिसमापन प्रक्रिया को समाहित करता है। आई. बी. सी. की धारा 33 इस प्रकार बताती हैः

" 33. परिसमापन की शुरुआत-(1) जहां न्यायनिर्णायक

प्राधिकरण (
क) दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति या धारा 12 के तहत निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या धारा 56 के तहत त्वरित गति से निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमत अधिकतम अवधि से पहले,

मामला हो सकता है, उप-धारा के तहत समाधान योजना प्राप्त नहीं करता है

(6) धारा 30 की; या
(ख) धारा 31 के तहत समाधान योजना को उसमें निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए अस्वीकार कर देता है।

(i) एक आदेश पारित करना जिसमें निगमित देनदार को इस अध्याय में निर्धारित तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता हो;

((ii) एक सार्वजनिक घोषणा जारी करें जिसमें कहा गया हो कि निगमित देनदार

परिसमापन में है; और

((ग) ऐसे आदेश को उस प्राधिकारी को भेजने की अपेक्षा करता है जिसके साथ -

निगमित देनदार पंजीकृत है "।

35. जिन परिस्थितियों में परिसमापन शुरू किया जा सकता है

आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम में धारा 33 के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) का उल्लेख किया गया है। सतीश कुमार गुप्ता और अन्य 3 1 निम्नानुसारः

" 76.10 . जैसा कि यहाँ पहले कहा गया है, परिसमापन प्रक्रिया

धारा 33 के तहत आरंभ किया जाता है यदि, (1) धारा 12 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर कोई समाधान योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है, या एक संकल्प प्रस्तुत किया जाता है।

संकल्प पेशेवर, संकल्प की पुष्टि से पहले योजना, के निर्णय के निर्णय प्राधिकरण को सूचित करता है

निगमित देनदार को समाप्त करने के लिए लेनदारों की समिति; या (3)

जहाँ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना

संबंधित निगमित देनदार द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है। कोई भी व्यक्ति

इस तरह के उल्लंघन से प्रभावित न्यायनिर्णायक पर लागू हो सकता है प्राधिकरण, जो तब इस पर परिसमापन आदेश पारित कर सकता है

आवेदन "।

36. आई. बी. सी. की धारा 34 में विचार किया गया है कि एक आदेश पारित करने पर

धारा 33 के तहत निगमित ऋणदाता के परिसमापन के लिए, सी. आई. आर. पी. के लिए नियुक्त समाधान पेशेवर उद्देश्यों के लिए परिसमापक के रूप में कार्य करेगा। परिसमापन। एक बार परिसमापक के रूप में नियुक्त होने के बाद, निदेशक मंडल, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और निगमित ऋणदाता के भागीदारों की सभी शक्तियां परिसमापक में निहित होती हैं। परिसमापक की शक्तियों और कर्तव्यों को धारा 35 में विस्तृत किया गया है। आगामी चर्चा को प्रासंगिक बनाने के लिए आई. बी. सी. की धारा 35 नीचे दी गई है:

" 35. परिसमापक की शक्तियाँ और कर्तव्य-(1) न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्देश, परिसमापक के पास होगा

निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य, अर्थात्:

XXXX

XXXX

XXXX

उसकी अभिरक्षा में लेना या सभी संपत्तियों, संपत्ति को नियंत्रित करना,

(ख)

निगमित देनदार के प्रभाव और कार्रवाई योग्य दावे;

XXXX

XXXX

XXXX

धारा 52 के अधीन, अचल और चल को बेचना

(च)

निगमित देनदार की संपत्ति और कार्रवाई योग्य दावे

सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा परिसमापन, बिजली के साथ

ऐसी संपत्ति को किसी व्यक्ति या निगमित निकाय को हस्तांतरित करना,

या उसे पार्सल में इस तरह से बेचना जो हो सके

निर्दिष्ट किया गया;

XXXX

XXXX

XXXX

ऐसे आदेशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को आवेदन करना या

(एन)

परिसमापन के लिए आवश्यक निर्देश

निगमित देनदार और परिसमापन की प्रगति की रिपोर्ट करना

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्रक्रिया।

एम/एस। आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

XXXX

XXXX

XXXX

(2)

परिसमापक के पास इनमें से किसी से भी परामर्श करने की शक्ति होगी

आय के वितरण के हकदार हितधारक

धारा 53: बशर्ते कि ऐसा कोई परामर्श नहीं होगा

परिसमापक पर बंधनः आगे दिए गए हैं कि अभिलेख।

इस तरह के किसी भी परामर्श को अन्य सभी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। हितधारकों से इस तरह से परामर्श नहीं किया गया है, द्वारा निर्दिष्ट तरीके से

बोर्ड "।

37. परिसमापन विनियम, विनियम 8 के बाद आते हुए,

32 और 33 को हाइलाइट करने और निम्नानुसार बताने की आवश्यकता हैः

" 8. हितधारकों के साथ परामर्श।

(1) धारा 35 (2) के तहत परामर्श किए गए हितधारकों का विस्तार होगा।

परिसमापक को पूरा करने के लिए सभी सहायता और सहयोग

निगमित देनदार का परिसमापन। (2) परिसमापक किसी भी परामर्श के विवरण को बनाए रखेगा।

इस विनियमन के तहत बनाए गए हितधारकों के साथ, जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है

अनुसूची II का प्रपत्र ए।

XXX

XXXX

XXXX

31 ए. हितधारकों की परामर्श समिति।

(1) परिसमापक एक परामर्श समिति का गठन करेगा।

परिसमापन शुरू होने की तारीख से साठ दिन, के आधार पर

उसे सलाह देने के लिए विनियमन 31 के तहत तैयार की गई हितधारकों की सूची

विनियम 32 के अधीन बिक्री से संबंधित मामले। XXXX

XXXX

XXXX

(5) संहिता और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन,

परामर्श समिति में प्रतिनिधियों की पहुंच होगी सभी प्रासंगिक अभिलेखों और जानकारी के लिए जिसकी आवश्यकता हो सकती है

परिसमापक को उप-विनियम (1) के तहत सलाह प्रदान करें।

XXXX

XXXX

XXXX

(7) परिसमापक परामर्श समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

और बैठक के विचार-विमर्श को अभिलिखित करें।

(8) परिसमापक समिति की सिफारिश प्रस्तुत करेगा। विनियमन 39 सी के उप-विनियमन (1) के तहत किए गए लेनदारों का

निगमित व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016

इसकी जानकारी के लिए परामर्श समिति के समक्ष।

(9) परामर्श समिति परिसमापक को सलाह देगी,

उपस्थित और मतदान करने वाले परामर्श समिति के प्रतिनिधियों का कम से कम साठ-छह प्रतिशत मतदान।

(10) परामर्श समिति की सलाह परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होगीः बशर्ते कि जहां परिसमापक परामर्श समिति द्वारा दी गई सलाह से अलग निर्णय लेता है, वह उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।
32. [परिसंपत्तियों की बिक्री आदि।

परिसमापक बेच सकता है (क) एकल आधार पर एक परिसंपत्ति;

((ख) मन्द बिक्री में परिसंपत्तियाँ; ((ग) सामूहिक रूप से परिसंपत्तियों का एक समूह;

((घ) परिसंपत्तियाँ,

(ई) एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार; या (च) एक चालू संस्था के रूप में निगमित देनदार का व्यवसायः

बशर्ते कि जहां कोई संपत्ति प्रतिभूति ब्याज के अधीन है, उसे किसी भी खंड (ए) से (एफ) के तहत तब तक नहीं बेचा जाएगा जब तक कि उसमें प्रतिभूति ब्याज को परिसमापन के लिए छोड़ दिया गया हो। संपत्ति।]

(1) परिसमापक आम तौर पर अनुसूची I में निर्दिष्ट तरीके से नीलामी के माध्यम से निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचेगा। (2) परिसमापक अनुसूची I में निर्दिष्ट तरीके से निजी बिक्री के माध्यम से निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेच सकता है जब

(क) परिसंपत्ति नाशवान है;

(ख) यदि परिसंपत्ति को तुरंत नहीं बेचा जाता है तो उसके मूल्य में काफी गिरावट आने की संभावना है।
(ग) परिसंपत्ति को असफल नीलामी के आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा जाता है; या एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

(घ) ऐसी बिक्री के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई है:

बशर्ते कि परिसमापक निजी बिक्री के माध्यम से परिसंपत्तियों को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बेचेगा।

को

(क) निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष;

((ख) उसका संबंधित पक्ष; या

(ग) उसके द्वारा नियुक्त कोई भी पेशेवर। (3) परिसमापक किसी परिसंपत्ति की बिक्री के साथ आगे नहीं बढ़ेगा यदि उसके पास यह मानने का कारण है कि खरीदारों, या कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्षों और खरीदारों, या लेनदारों और खरीदार के बीच कोई मिलीभगत है, और इस संबंध में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें मिलीभगत के खिलाफ उचित आदेश मांगे जाएंगे।

पार्टियाँ "।

38. अनुसूची-I विनियमन 33 के तहत प्रक्रिया को निर्धारित करता है -

परिसमापक द्वारा निगमित की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए या। अनुसूची-I के सुसंगत खंड निम्नानुसार निकाले गए हैं:

" अनुसूची I

बिक्री का तरीका

(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 33 के तहत)

1. नीलामी

(1) जहां किसी परिसंपत्ति को नीलामी के माध्यम से बेचा जाना है, वहां परिसमापक

ऐसा यहाँ निर्दिष्ट तरीके से करें। (2) परिसमापक परिसंपत्ति की बिक्री के लिए, यदि आवश्यक हो, विपणन पेशेवरों की मदद से एक विपणन रणनीति तैयार करेगा।

रणनीति में शामिल हो सकते हैं

(ग) बिक्री की सूचना तैयार करना; और ((घ) अभिकर्ताओं के साथ संबंध बनाना।

(3) परिसमापक बिक्री के नियम और शर्तें तैयार करेगा, जिसमें आरक्षित मूल्य, बकाया राशि जमा के साथ-साथ बोली लगाने से पहले की योग्यताएं, यदि कोई हों।

XXXX

XXXX

XXXX

2. निजी बिक्री

(1) जहाँ किसी परिसंपत्ति को निजी बिक्री के माध्यम से बेचा जाना है, एक परिसमापक

बिक्री का संचालन यहाँ निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

(2) परिसमापक इच्छुक व्यक्ति से संपर्क करने के लिए एक रणनीति तैयार करेगा।

(3) निजी बिक्री संभावित खरीदारों या उनके एजेंटों के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से, खुदरा दुकानों के माध्यम से, या किसी अन्य माध्यम से की जा सकती है जिससे अधिकतम प्राप्ति होने की संभावना है। परिसंपत्तियों की बिक्री।

XXXX "

XXXX

XXXX

39. आई. बी. सी. और परिसमापन विनियमों के उपरोक्त प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि परिसमापक है निगम की अचल और चल संपत्ति को बेचने के लिए अधिकृत

सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध के माध्यम से परिसमापन में देनदार, या तो सामूहिक रूप से, या टुकड़ों में। क़ानून का अंतर्निहित उद्देश्य परिसमापन में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की रक्षा और संरक्षण करना और उन्हें सर्वोत्तम संभव मूल्य पर बेचना है। इस उद्देश्य के लिए, आई. बी. सी. के प्रावधानों ने परिसमापक को बिक्री के साधन के रूप में सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध के लिए जाने का अधिकार दिया है। प्रगति की सूचना देने के अलावा, परिसमापक निगमित ऋणदाता के परिसमापन के लिए आवश्यक उचित आदेशों और निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को भी आवेदन कर सकता है। लिक्विडेटर है उन हितधारकों से परामर्श करने की अनुमति दी गई है जो बिक्री आय के वितरण के हकदार हैं। हालांकि, आई. बी. सी. की धारा 35 (2) के प्रावधान से यह स्पष्ट होता है कि हितधारकों की राय परिसमापक पर बाध्यकारी नहीं होगी। परिसमापन विनियमों का विनियम 8 हितधारकों के साथ परामर्श प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जैसा कि आईबीसी की धारा 35 (2) में निर्दिष्ट किया गया है और कहा गया है कि वे परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए परिसमापक को सभी आवश्यक सहायता और

सहयोग प्रदान करेंगे। विनियमन 31 ए ने एक हितधारक परामर्श समिति की शुरुआत की है जो परिसमापक को निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में सलाह दे सकती है और मेसर्स को प्रदान करने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

40. जब कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के तरीके की बात आती है, चाहे वह अचल हो या चल और अन्य कार्रवाई योग्य। दावा करता है, परिसमापन विनियमों का विनियम 33 लागू होता है और

परिसमापक निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को निजी बिक्री के माध्यम से निगमित देनदार के किसी संबंधित पक्ष, उसके रिश्तेदार पक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी पेशेवर को बेचने का इरादा रखता है, इसके लिए पहले प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) की अनुमति। यहाँ तक कि बिक्री के तरीके को सार्वजनिक नीलामी और निजी बिक्री दोनों के लिए परिसमापन विनियमों के तहत विनियमित किया गया है। कॉरपोरेट देनदार की परिसंपत्तियों की रक्षा और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए उपरोक्त सभी क्या करें और क्या न करें को शामिल किया गया है।

41. यह रिकॉर्ड की बात है कि तत्काल मामले में, निम्नलिखित

परिसमापन विनियमों के विनियम 33 (1) के अधिदेश के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से एक या दो बार नहीं, बल्कि पांच अलग-अलग अवसरों पर बेचने के लिए कदम उठाए। प्रत्येक उक्त अवसर पर, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा परिसंपत्तियों की समेकित बिक्री करने का प्रयास किया गया था।

निगमित देनदार की परिसंपत्तियाँ, लेकिन कोई फलदायी परिणाम नहीं। उक्त स्थिति का सामना करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक ने [2022] 12 एस. सी. आर. से संपर्क किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

धारा 35 (1) (एन) के संदर्भ में न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.), आई. बी. सी. ने पढ़ा

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को निजी बिक्री के माध्यम से बेचने की अनुमति लेने के लिए परिसमापन विनियमों के विनियम 33 (2) के साथ। उचित अनुमति दिए जाने के बाद ही, प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक ने परामर्श के लिए हितधारकों से संपर्क किया। बैठक में

28 जनवरी, 2021 को आयोजित, हितधारकों ने संकल्प लिया कि संभावित बोलीदाता, जो दहेज की निजी बिक्री में भाग लेना चाहते हैं सामग्री, स्विस चुनौती प्रक्रिया को अपनाकर ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उल्लेखनीय है कि उक्त प्रक्रिया के पहले चरण में एक एंकर बोलीदाता के चयन की आवश्यकता होती है; दूसरे चरण में संभावित बोलीदाताओं को एंकर द्वारा प्रस्तावित आरक्षित मूल्य के खिलाफ अपनी बोलियां जमा करने के लिए आमंत्रित करना शामिल है।

बोली लगाने वाला। तीसरे चरण में, एंकर बोलीदाता को एच 1 बोलीदाता के खिलाफ एच 1 बोलीदाता से अधिक बोली लगाकर आरओएफआर का प्रयोग करने का एक मौका मिलता है। यदि एंकर बोलीदाता आरओएफआर का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो उक्त अधिकार समाप्त हो जाता है और एच 1 बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा।

42. तत्काल मामले में, पहली स्विस चुनौती प्रक्रिया सफल नहीं हुई क्योंकि सबसे अधिक प्रस्ताव देने वाला ई. एम. डी. जमा करने में विफल रहा। दूसरे में

स्विस चुनौती प्रक्रिया के दौर में, दहेज सामग्री और स्क्रैप के लिए निर्धारित 460 करोड़ रुपये के आधार मूल्य के मुकाबले, अपीलार्थी ने 431 करोड़ रुपये की बोली लगाई जिसे स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने बोलीदाताओं को अपना विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक विज्ञापन प्रकाशित किया।

43. जब मामला अभी भी एन. सी. एल. टी. के समक्ष लंबित था, तो प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक से प्रत्यर्थी संख्या 7 वेलस्पन ने संपर्क किया, जिन्होंने अचल संपत्ति की खरीद में रुचि दिखाई और निगम ऋणदाता की चल परिसंपत्तियाँ, अर्थात धातु और कबाड़ आदि के साथ जहाज निर्माण यार्ड, परिसर में पड़ी हैं। चूंकि इस प्रस्ताव को न केवल प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा, बल्कि एस. सी. सी. द्वारा भी अधिक आकर्षक माना गया था, इसलिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से संपर्क किया गया था।

दहेज सामग्री और शिपयार्ड की समग्र बिक्री करने की अनुमति के लिए, जिसे 16 अगस्त, 2021 के आदेश के अनुसार विधिवत मंजूरी दी गई थी।

44. अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्कों का परीक्षण करने के लिए कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर

द्वितीय स्विस चुनौती प्रक्रिया, जो सी. ई. चरण में थी, को रद्द करने के लिए शर्तों के खंड 12.3 पर विचार करना अनिवार्य हैएंकर बोली दस्तावेजों और संबंधित खंडों

II, जो नीचे उद्धृत किए गए हैं:

नियम और शर्तें XXXX XXXX

XXXX

इसमें इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, परिसमापक स्पष्ट रूप से वर्तमान प्रक्रिया या उसके एक हिस्से को छोड़ने/रद्द करने/समाप्त करने/माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इसके तहत विचार किया गया (किसी भी स्तर पर बिना किसी दायित्व के)। इसके अलावा, परिसमापक के पास वर्तमान बिक्री प्रक्रिया में या किसी भी अन्य बिक्री प्रक्रिया में, जो लागू कानूनों के अनुसार और इस संबंध में कोई दायित्व वहन किए बिना विचार किया जा सकता है, हितधारकों के सर्वोत्तम हित में, लॉट के लॉट को फिर से आकार देने और आकार बदलने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है।

अनुसूची-II: सामान्य नियम और शर्तें

एबीजीएसएल। प्रक्रिया को निम्नानुसार पूरा करना होगा। लेन-देन/बिक्री को सफलतापूर्वक समाप्त करने के लिए यह दस्तावेज़।

XXXX XXXX XXXX " ' एम. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रक्रिया दस्तावेज को जारी करने से परिसमापक या एबीजी की ओर से एबीजी की परिसंपत्तियों की बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व पैदा नहीं होता है।

XXXX XXXX XXXX

" एस. परिसमापक के पास प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बोलीदाता/सफल बोलीदाता को रद्द करने, छोड़ने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, और परिसमापक के पास यह अधिकार भी सुरक्षित है कि वह

किसी भी अनियमितता के मामले में एक सफल बोलीदाता को अयोग्य घोषित करें।

आई एंड बी कोड के तहत अयोग्यता पाई गई। "[2022] 12 एस. सी. आर.

" टी. एबीजीएसएल के परिसमापक के पास प्रक्रिया की शर्तों और/या दस्तावेजों को निलंबित करने/छोड़ने/रद्द करने/बढ़ाने या संशोधित करने और/या किसी भी समय किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार करने या अयोग्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित है।

बिना कोई कारण बताए और किसी भी प्रकार के दायित्व की सूचना दिए बिना प्रक्रिया का चरण।

45. द्वितीय स्विस चुनौती का खंड 11.6 और अनुसूची IV

एस. ई. एस. दस्तावेज़ भी प्रासंगिक हैं और उसी तर्ज पर लिखे गए हैं:

" 11.6 इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद,

परिसमापक स्पष्ट रूप से त्यागने/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

इसके तहत (किसी भी स्तर पर दायित्व के बिना)। इसके अलावा, परिसमापक के पास लॉट को फिर से आकार देने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है। वर्तमान बिक्री प्रक्रिया में या किसी अन्य में नोटों का संयोजन

बिक्री प्रक्रिया जिस पर विचार किया जा सकता है, लागू कानून, और इस संबंध में कोई दायित्व वहन किए बिना,

हितधारकों के सर्वोत्तम हित में "।

अनुसूची-IV: नियम और शर्तें

" ई. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रक्रिया दस्तावेज जारी करने से परिसमापक की ओर से किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व पैदा नहीं होता है

या एबीजी की परिसंपत्तियों की बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए।

XXXX

XXXX

XXXX

" x. परिसमापक प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय बोलीदाता/सफल बोलीदाता को रद्द करने, छोड़ने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और परिसमापक के पास सफल व्यक्ति को अयोग्य ठहराने का अधिकार भी सुरक्षित है।

बोलीदाता, किसी भी अनियमितता जैसे कि अयोग्य पाए जाने के मामले में

आई एंड बी कोड "।

XXXX

XXXX

XXXX

" y. ए. बी. जी. एस. एल. का परिसमापक, निलंबित करने/छोड़ने/छोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रक्रिया की शर्तों और/या दस्तावेजों को रद्द/विस्तारित या संशोधित करें

और/या प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी बोलीदाता को अस्वीकार या अयोग्य घोषित करें।

बिना कोई कारण बताए और बिना किसी सूचना के दायित्व जो भी प्रकृति हो। .

46. द्वितीय स्विस की अनुसूची IV की निम्नलिखित शर्तें

प्रक्रिया परिसमापक को एक अतिरिक्त अधिकार प्रदान करती हैः

" अनुसूची-IV: नियम और शर्तें एम/एस।

" यू। इसमें निहित और इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, परिसमापक किसी भी स्तर पर बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एक बोलीदाता को शामिल कर सकता है। परिसमापक के पास बिक्री प्रक्रिया में ऐसे संभावित बोलीदाताओं को शामिल करने की प्रक्रिया तय करने का अधिकार सुरक्षित है। सभी बोलीदाता इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि परिसमापक को निर्धारित समय सीमा के बाद भी या बिक्री प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है। हितधारकों के सर्वोत्तम हित में परिसंपत्तियों की बिक्री से अधिकतम प्राप्ति करना।

XXXX

XXXX

XXXX

कंपनी की परिसंपत्तियों की सामूहिक बिक्री के लिए बिक्री प्रक्रिया को प्रभावी और व्यावहारिक रूप से सक्षम करने के लिए मामले और सभी को लेंगे
इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कदम और कार्रवाई "।

47. एंकर बोली दस्तावेज़ और दूसरे स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ के उपरोक्त खंडों का एक नंगे अवलोकन, छोड़ दें

इसमें कोई संदेह नहीं है कि संभावित बोलीदाताओं को सूचित किया गया था कि परिसमापक ने उक्त प्रक्रिया और/या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी स्तर पर छोड़ने/रद्द करने/समाप्त करने/माफ करने का अधिकार सुरक्षित रखा था; कि एंकर बोली दस्तावेज़ जारी करने से परिसमापक पर कोई बाध्यकारी दायित्व पैदा नहीं हुआ था।

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों की बिक्री के साथ आगे बढ़ना; कि एंकर बोली दस्तावेज़ परिसमापक का प्रस्ताव/प्रतिबद्धता या आश्वासन नहीं था। दूसरे स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ में भी परिसमापक के पास समान अधिकार सुरक्षित थे। वास्तव में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अनुसूची IV एक कदम आगे बढ़ती है और परिसमापक को किसी भी समय बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बोली लगाने वाले को शामिल करने का अधिकार देती है।

स्टेज। वह उक्त प्रक्रिया के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की समग्र परिसंपत्तियों को बेचने का भी निर्णय ले सकता था।

48. केवल इसलिए कि इसमें अपीलार्थी ने एंकर बोली दस्तावेज़ के तहत एक बोली प्रस्तुत की थी और उसे इसमें एंकर बोलीदाता घोषित किया गया था। दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया, उसे इस बात पर जोर देने का अधिकार नहीं दे सकी कि उक्त प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाना चाहिए। अपीलार्थी उस निहित अधिकार के बारे में बात कर रहा है जो कथित रूप से एंकर बोलीदाता घोषित किए जाने पर उसके पक्ष में अर्जित हुआ था। लेकिन ऐसा है।

इसके द्वारा दायर 23 मार्च, 2021 के एक हलफनामे, [2022] 12 एस. सी. आर. को आसानी से हटा दिया गया।

अन्य बातों के साथ-साथ यह वचन देना कि यह स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ और प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक के निर्णय से बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से बंधा रहेगा। एंकर बोली दस्तावेज़ और दूसरे स्विस चुनौती प्रक्रिया दस्तावेज़ के उपरोक्त नियमों और शर्तों को देखते हुए, अपीलार्थी द्वारा दिए गए अयोग्य वचन के साथ सामूहिक रूप से पढ़ा जाता है, जिसमें यह स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक को उक्त प्रक्रिया को रद्द करने/संशोधित करने या यहां तक कि छोड़ने का भी अधिकार था, अपीलार्थी के मुंह में यह आग्रह करना नहीं है कि एक बार इसे लागू करने के बाद, दूसरे स्विस को बंद करने का कोई औचित्य नहीं था। चुनौती प्रक्रिया। एंकर बोलीदाता के रूप में अपीलकर्ता को इस बात पर जोर देने के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं दिए गए कि उक्त प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और समाप्त किया जाना चाहिए, चाहे बाद में कोई भी हो।

49. इसे अन्यथा रखने के लिए, एक एंकर बोलीदाता का आर. ओ. एफ. आर. से परे कोई निहित अधिकार नहीं है, जो प्रस्ताव की उत्पत्ति है। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि स्विस चुनौती प्रक्रिया निजी भागीदारी का एक और तरीका है जिसे इस न्यायालय द्वारा अपनी पारदर्शिता के लिए मान्यता दी गई है [संदर्भः रवि विकास (ऊपर)]। अंततः, आई. बी. सी. ने परिसमापन में निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने के लिए सर्वोत्तम संभव विधि का पता लगाने के लिए परिसमापक के विवेक पर छोड़ दिया है, जिसमें बिक्री के लिए प्रस्तावित परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से निजी बिक्री शामिल है। 50. तत्काल मामले में, प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक के लिए दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को रोकने का अच्छा कारण था

बीच में और सशस्त्र न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) से संपर्क किया

प्रतिवादी संख्या 7 से प्राप्त 675 करोड़ के प्रस्ताव के साथ -

वेलस्पन जिन्होंने दहेज की समग्र बिक्री में रुचि दिखाई थी

संपत्ति। वास्तव में, यह प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक का पसंदीदा विकल्प था जैसा कि इस तथ्य से देखा जा सकता है कि जब उनके द्वारा पहले पांच अवसरों पर सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई थी, तो कॉर्पोरेट देनदार की समग्र परिसंपत्तियों के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थीं। यह एक अलग बात है कि पहले की ई-नीलामी असफल साबित हुई, इस प्रकार सम्मोहक

प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसंपत्तियों को छोटे लॉट में बेचने के विकल्प सहित अन्य विकल्पों का पता लगाने के लिए परिसमापक।

51. अपने विवेक में, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने प्रत्यर्थी संख्या 7-वेलस्पन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को एम/एस के लिए बेहतर मूल्य का पाया।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

एक से अधिक कारण। सबसे पहले, दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया के तहत प्रस्तावित बिक्री के विपरीत जो दहेज सामग्री तक ही सीमित थी,

प्रतिवादी संख्या 7-वेलस्पन ने दहेज की भूमि और स्क्रैप को एक समग्र संपत्ति के रूप में खरीदने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जिससे बिक्री के दो दौर कम हो गए, पहले दहेज सामग्री के लिए और उसके बाद शिपयार्ड और अन्य संपत्तियों के लिए। दूसरा, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के पास यह मानने के वैध कारण थे कि निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों की समेकित बिक्री से अधिक लाभ होगा और हितधारकों के लिए तेजी से वसूली होगी। तीसरा, परिसंपत्तियों की समग्र बिक्री से एक निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकतम वसूली होगी। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के मूल्यांकन में, स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से पहले दौर में दहेज सामग्री को बेचने की दो स्तरीय प्रक्रिया, उसके बाद दूसरे दौर में दहेज भूमि की बिक्री, हितधारकों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करती क्योंकि दूसरी स्विस चैलेंज प्रक्रिया को जारी रखने का मतलब यह होता कि अपीलकर्ता या एच 1 बोलीदाता को, जैसा भी मामला हो, दहेज शिपयार्ड से सामग्री उठाने के लिए कम से कम 15 से 18 महीने का समय देना पड़ता, जिससे दहेज भूमि की बिक्री की पूरी प्रक्रिया 18 महीने से अधिक की अवधि तक रुक जाती। प्रक्रिया को पूरा करने में यह देरी सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती है

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों का मूल्य और हितधारकों के हितों को नुकसान पहुंचाना।

निगमित देनदार की परिसंपत्तियों के मूल्य को बढ़ाने के विचार के साथ परिसमापक को बिक्री के लिए रखा जा रहा है। उच्चतम बोली को अस्वीकार करने या बोली प्रक्रिया को पूरी तरह से छोड़ने या रद्द करने का अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के पास उपलब्ध था। अपीलार्थी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक का निर्णय दूसरी स्विस चुनौती प्रक्रिया को बंद करना और संभावित बोलीदाताओं के साथ दिशा वार्ता के माध्यम से एक निजी बिक्री के लिए जाना था

दुर्भावनापूर्ण व्यायाम। यह एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है कि वाणिज्यिक लेन-देन, निविदा आदि से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा काफी सीमित है और न्यायालय को अपने निर्णयों को निविदा एजेंसी के स्थान पर रखने से बचना चाहिए। : मध्य प्रदेश राज्य और अन्य बनाम। नंदलाल जयसवाल और अन्य 3, टाटा सेल्युलर (ऊपर) और एयर इंडिया (ऊपर)]। नंदलाल जैसवाल और अन्य (ऊपर) मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि एक नया उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस देते समय, राज्य सरकार विज्ञापन देने और प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं है।

पहचान का उद्देश्य और यह कि राज्य सरकार बातचीत करने की पूरी तरह से हकदार हैजो इस तरह का उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। इन एंड टी कंसल्टेंट्स, सिकंदराबाद बनाम। एस. वाई. नवाब और अन्य 3 3,

हमारा निष्कर्ष इस प्रकार हैः

" 17. ..... अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि निविदाओं का न आना या सार्वजनिक नीलामी या निमंत्रण का न होना ही पर्याप्त नहीं है। किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कदम या कार्रवाई को मनमाना या अनुचित या दुर्भावनापूर्ण के रूप में दोष देने का कारण या

प्राधिकरण द्वारा शक्ति का अनुचित प्रयोग या अनुचित दुरुपयोग चिंतित हैं। अदालतें हमेशा पर्याप्त के पक्ष में रही हैं

अधिकारियों के पास अपनी तकनीकों को अपनाने के लिए अक्षांश छोड़ा जा रहा है

सहवर्ती आर्थिक परियोजनाओं का प्रबंधन निर्देशित स्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर कार्यसाध्यताएँ

प्राधिकरण के सर्वोत्तम हित में उचित वित्तीय नीति द्वारा

जनहित के साथ-साथ इस तरह के उपक्रम से प्रेरित उद्यम।

53. ओ. आर. आई. टी. द्वारा प्राप्त उच्चतम बोली को भी अस्वीकार करने के पहलू पर, इस न्यायालय ने लक्ष्मीकांत और अन्य (ऊपर) में कहा है कि

: :

" 4. इसके अलावा उच्च न्यायालय ने शर्तों की अनदेखी की

नीलामी जिसे अधिसूचित किया गया था और जिसके आधार पर उपरोक्त

सार्वजनिक नीलामी आयोजित की गई। शर्त संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसके बाद

प्लॉट की नीलामी समाप्त हो गई थी, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को सबसे अधिक बोली की राशि और प्रीमियम की शेष राशि का 1/10 जमा करना पड़ता था।

तीस दिनों के भीतर न्यास कार्यालय को राशि प्रेषित की जानी थी।

" संबंधित व्यक्ति के नाम पर नीलामी बोली की पुष्टि की सूचना देने वाले पत्र की तारीख से। मान लीजिए, प्रत्यर्थी को ऐसा कोई पुष्टि पत्र जारी नहीं किया गया था। शर्तें सं। 5 , 6 और 7 प्रासंगिक हैंः

" 5. उच्चतम बोली की स्वीकृति इस पर निर्भर करेगी -

न्यासी मंडल।

6. न्यास स्वयं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा

उच्चतम या कोई भी बोली।

7. उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को अपनी बोली वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा। बोर्ड के अध्यक्ष का निर्णय

3) 8 एससीसी 100 एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

बोली की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में न्यासियों की नियुक्ति उक्त व्यक्ति पर बाध्यकारी होगी। उपरोक्त निर्णय लेने और संबंधित व्यक्ति को सूचित करने से पहले, यदि उक्त व्यक्ति अपनी बोली वापस लेता है, तो बोली की राशि के लिए जमा के रूप में प्रेषित पूरी राशि द्वारा जब्त कर ली जाएगी।

भरोसा रखिए "।

पूरा किया गया और प्रतिवादी सबसे अधिक बोली लगाने वाला था, जब तक पुष्टि पत्र नहीं आया, तब तक उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ था।

उसे जारी किया गया। नीलामी की शर्तें स्पष्ट रूप से

कल्पना की और विचार किया कि उच्चतम की स्वीकृति

न्यासी मंडल द्वारा बोली लगाना आवश्यक था और न्यास ने उच्चतम या किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा। इस न्यायालय ने त्रिलोचन मिश्रा बनाम के मामलों में सार्वजनिक नीलामी में उच्चतम बोलीदाता के अधिकार की जांच की है। उड़ीसा राज्य 3 4, राज्य

उड़ीसा बनाम। हरिनारायण जयसवाल 3 5, भारत संघ बनाम। भीम सेन वलीती राम 3 6 36 और उत्तर प्रदेश राज्य। वी. विजय बहादुर

सिंह 3 7. यह बार-बार इंगित किया गया है कि राज्य या प्राधिकरण जिसे राज्य के अंतर्गत रखा जा सकता है

संविधान के अनुच्छेद 12 का अर्थ बाध्य नहीं है - उच्चतम निविदा या बोली स्वीकार करें। की स्वीकृति

उच्चतम बोली जनता को रखने की शर्तों के अधीन है

नीलामी और उच्चतम बोलीदाता का अधिकार होना चाहिए

जिसकी ऐसी नीलामी आयोजित की गई है। वर्तमान मामले में कोई अधिकार नहीं है। नियम 4 (3) के तहत वैधानिक प्रावधान के आधार पर या बिक्री की शर्तों के तहत प्रत्यर्थी को अर्जित किया गया था जिसे सार्वजनिक नीलामी आयोजित होने से पहले अधिसूचित किया गया था। (जोर देना

जोड़ा गया) 54. इसके अलावा, सी. डब्ल्यू. ई.-सोमा कंसोर्टियम (ऊपर) में, इस न्यायालय ने

निम्नानुसारः

" 23. सबसे कम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार है सरकार के लिए हमेशा उपलब्ध। हाथ में मामले में,

1) 3 एससीसी 153

2) 2 एससीसी 369) 3 एस. सी. सी. 146

प्रत्यर्थी ने न तो अनुरोध किया है और न ही दुर्भावनापूर्ण अभ्यास स्थापित किया है

अपीलार्थी द्वारा शक्ति का अधिकार। जबकि, निविदा का निर्णय

उच्च न्यायालय द्वारा समिति में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था

अदालत। हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय ने बैठक में गलती की

अपीलार्थी के रद्द करने के निर्णय पर अपील में

निविदा दें और एक ताजा निविदा जारी करें। समान रूप से, उच्च न्यायालय एक नए के वित्तीय प्रभाव में जाने में सही नहीं था

कोमल "।

(जोर दिया गया)

55. के निर्णय की जांच में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर

प्रक्रिया को रद्द करने के लिए यदि निविदा दस्तावेज अनुमति देता है, तो हम

उपयोगी रूप से मोंटेकार्लो लिमिटेड (सुप्रा) का उल्लेख करें, जिसमें इसे निम्नानुसार रखा गया है:

यदि दृष्टिकोण मनमाना या दुर्भावनापूर्ण या अपनाई गई प्रक्रिया है एक का पक्ष लेने के लिए होता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए।

दिखाएँ कि उक्त रोगों को दूर रखा गया है। लेकिन निर्णय कहाँ है?

लिया जाता है जो स्पष्ट रूप से भाषा के अनुरूप है निविदा दस्तावेज का या उस उद्देश्य को पूरा करता है जिसके लिए

निविदा जारी की जाती है, अदालत को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए

संयम से। न्यायालय द्वारा तकनीकी मूल्यांकन या तुलना यह अस्वीकार्य होगा। स्कैन पर लागू होने वाला सिद्धांत

अन्य क्षेत्रों को व्याख्या करने से अलग तरीके से देखा जाना चाहिए और तकनीकी कार्यों से संबंधित निविदा दस्तावेजों की सराहना करना और

विशेष कौशल की आवश्यकता वाली परियोजनाएं। मालिक को अनुमति दी जानी चाहिए

उद्देश्य को पूरा करें और मुक्त खेल की छूट होनी चाहिए

जोड़ों में "।

(जोर दिया गया)

[स्टर्लिंग कंप्यूटर लिमिटेड v. का भी संदर्भ लें। मेसर्स एम एंड एन

मौलेश्वर मणि और अन्य बनाम। जगदीश प्रसाद और अन्य 3 9 39 बी. एस. एन. जोशी एंड संस लिमिटेड बनाम नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड

और अन्य ", जगदीश मंडल बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य 1 2 "

3) 1 एस. सी. सी. 445

2) 2 एस. सी. सी. 468

6) 11 एस. सी. सी. 5487) 14 एससीसी 517 एम/एस।

56. कानून परिसमापक को निगमित ऋणदाता की अचल और चल परिसंपत्तियों को इस तरह से बेचने का आदेश देता है जिसके परिणामस्वरूप मूल्य का अधिकतमकरण होगा, जिससे निगम के लिए उच्च और त्वरित वसूली होगी।

प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक। 57. जब ऊपर पैरा 53 में वर्णित उपरोक्त लंबी प्रक्रिया की तुलना की जाती है, तो धातु के साथ दहेज भूमि के लिए एक एकल खरीदार।

परिसर में पड़े कबाड़ आदि पूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए बाध्य थे क्योंकि सफल बोलीदाता को कब्जा सौंप दिया जा सकता था।

वाणिज्यिक विचारों की उत्तरदाता संख्या 2-परिसमापक द्वारा समग्र रूप से जांच की गई, जिन्होंने 6 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में हितधारकों के सामने कार्ड रखे। भले ही आई. बी. सी. के प्रावधान परिसमापक को परिसमापन में निगमित देनदार की संपत्तियों की बिक्री के लिए एक स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार देते हैं, लेकिन यह देखा जा सकता है कि उन्होंने हर कदम पर हितधारकों को विश्वास में लिया है।

द्वितीय स्विस चुनौती प्रक्रिया को रोकने और संभावित खरीदारों के साथ सीधे संपर्क करके निगमित ऋणदाता की समेकित परिसंपत्तियों की निजी बिक्री के साथ आगे बढ़ने के विकल्प के साथ उनकी सहमति होने के बाद ही, प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक ने परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा निर्णय लिया। इसके बाद, मामले को आवश्यक होने पर न्यायिक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) के पास ले जाया गया। आई. बी. सी. की धारा 35 (1) के तहत अनुमति जो विधिवत दी गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा लिए गए निर्णय को इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के लिए मनमाना, मनमौजी या अनुचित नहीं माना जा सकता है। द.

उक्त निर्णय ठोस कारण और तर्क के साथ किया जाता है। यह विशुद्ध रूप से हितधारकों के सर्वोत्तम हित पर केंद्रित एक वाणिज्यिक निर्णय है। हितधारकों ने सर्वसम्मति से प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के दृष्टिकोण का समर्थन किया, यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि वह उक्त निर्णय की वांछनीयता या तर्कसंगतता की आगे की जांच करे या उसे अपने विचारों के साथ प्रतिस्थापित करे।

58. इसलिए, हम एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक का निर्णय

परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हितधारकों की इच्छा

कम से कम संभव समय। आइए हम यह न भूलें कि निगमित देनदार की परिसंपत्तियों को बेचने की उपरोक्त कवायद लगभग तीन वर्षों से चल रही है, जिसमें कई मुकदमे दायर किए गए हैं जिससे और देरी हो रही है। प्रक्रिया पर जितनी जल्दी पर्दा डाला जाएगा, सभी संबंधित लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा।

59. यही कारण है कि हम पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने के लिए एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा जारी किए गए बाद के निर्देशों को दरकिनार करने के इच्छुक हैं।

वार्ताओं का संचालन करें। इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि ये वाणिज्यिक लेनदेन और विशुद्ध रूप से व्यापार संचालित निर्णय हैं, जो न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। आई. बी. सी. के तहत शुरू की गई दिवाला व्यवस्था ने न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) और अपीलकर्ता प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) द्वारा हस्तक्षेप की शक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है। एनसीएलटी का निर्णय बिक्री के पहले दौर में भाग लेने वाले पक्षों के साथ बातचीत की गई समग्र परिसंपत्तियों की बिक्री को एम/एस के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II) एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर. कॉमर्सियल प्राइवेट लिमिटेड [हिमा कोहली, जे.]

एन. सी. एल. ए. टी. ने उक्त आदेश को संशोधित करने और संभावित खरीदारों को नोटिस जारी करने के प्रारंभिक चरण में वापस जाने का निर्देश देने के लिए त्वरित निर्णय लिया। एल. आई. एस. के किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कोई राहत नहीं मांगी गई थी, न ही एन. सी. एल. ए. टी. ने ऐसा निर्देश जारी करने के लिए कोई प्रशंसनीय कारण दिया है। 60. परिसमापक में निहित शक्तियों और कर्तव्यों को निर्णय प्राधिकरण के निर्देशों के अधीन बनाया गया है।

(एन. सी. एल. टी.) आई. बी. सी. की धारा 35 के तहत। एक बार जब परिसमापक उचित आदेश/निर्देशों के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) को आवेदन करता है, निगमित देनदार की चल और अचल संपत्तियों को बिक्री के एक विशेष तरीके को अपनाकर परिसमापन में बेचने का निर्णय भी शामिल है।

और न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (एन. सी. एल. टी.) इस तरह के निर्णय को मंजूरी देता है, आई. बी. सी. में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अपीलीय प्राधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.) को उक्त निर्णय की स्वतः संज्ञान न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण [एन. सी. एल. टी.] और अपीलीय प्राधिकरण [एन. सी. एल. ए. टी.] को दी गई अधिकारिता आई. बी. सी. के प्रावधानों द्वारा सीमित है और एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड की ऋणदाताओं की समिति v. सतीश कुमार गुप्ता और अन्य, वे समानता के न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं या एकतरफा रूप से उलटने के लिए पूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

परिसमापक का निर्णय वाणिज्यिक ज्ञान के आधार पर और हितधारकों द्वारा समर्थित है। न्यायालय ने शीर्षक वाले मामले में यह भी कहा है कि "विधायी इतिहास से, इसके विपरीत संकेत मिलता है कि

वित्तीय लेनदारों के वाणिज्यिक या व्यावसायिक निर्णय न्यायनिर्णायक प्राधिकरण या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी न्यायिक समीक्षा के लिए खुले नहीं हैं। के. शशिधर बनाम में प्रत्यर्थी के साथ भी इसी तरह का तर्क प्रचलित है। इंडियन ओवरसीज बैंक और अन्य 44, एमटेक ऑटो लिमिटेड के लेनदारों की समिति बनाम। दिनकर टी.

वेंकटसुब्रमण्यन और अन्य ", कल्पराज धर्मशी और एक अन्य बनाम। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड और एक अन्य। 46 घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता v. निदेशक और अन्य के माध्यम से एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। 47 और जेपी केन्सिंगटन बुलेवार्ड अपार्टमेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य (सुप्रा)। उपरोक्त दृष्टिकोण किसी भी वाणिज्यिक या व्यवसाय पर समान बल के साथ लागू होगा।

43 (2020) 8 एस. सी. सी. 531

46 (2021) 10 एस. सी. सी. 401 47 (2021) 9 एससीसी 657 [2022] 12 एस. सी. आर.

परिसमापक द्वारा परिसमापन में निगमित ऋणदाता की चल/अचल संपत्तियों की बिक्री करने के लिए लिया गया निर्णय। अपीलीय प्राधिकरण निगमित ऋणदाता की परिसंपत्तियों की बिक्री के एक विशेष तरीके का विकल्प चुनने में प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक के दृष्टिकोण की वैधता की देखरेख के लिए एक पर्यवेक्षी प्राधिकरण का दायित्व नहीं निभा सकता है।

61. वास्तव में, यह प्रतिवादी द्वारा हमारे ध्यान में लाया गया है

नं. 2 परिसमापक जो विवादित फैसले के बाद बंद हो जाता है

10 दिसंबर, 2021 को दिए गए एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा पारित, कॉर्पोरेट देनदार की वित्तीय लेनदारों की कोर समिति ने 15 दिसंबर, 2021 को एक बैठक आयोजित की थी और सर्वसम्मति से प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक के विचार की पुष्टि की थी कि 24 अगस्त, 2021 को शुरू हुई बोली प्रक्रिया को जारी रखा जाना चाहिए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए फिर से शुरू नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसे खरीदारों को खोजने में लगभग तीन साल लग गए थे और बिक्री बंद होने के कगार पर थी। बैठक के कार्यवृत्त में यह भी दर्ज किया गया था कि पक्षों से ब्याज मांगने के कई प्रयास पहले ही किए जा चुके थे, लेकिन कोई भी संपत्ति की समग्र खरीद के लिए प्रस्ताव देने के लिए आगे नहीं आया था। हम इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि कोर समिति वित्तीय लेनदारों की 70.3% का गठन करती है और जब उन्होंने प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा लिए गए रुख का समर्थन करने के लिए विचार किया है -

24 अगस्त, 2021 को शुरू हुई बोली प्रक्रिया को जारी रखने के लिए परिसमापक, हम एन. सी. एल. ए. टी. के विचार को लागू करने का कोई कारण नहीं देखते हैं प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक कि उसे संभावित खरीदारों को एक खुली सूचना जारी करने के बाद कॉर्पोरेट ऋणदाता की समग्र परिसंपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहिए।

निष्कर्षः

62. इसलिए, एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा 10 दिसंबर, 2021 का विवादित निर्णय इस हद तक पारित किया गया कि उसने 16 तारीख के आदेश को संशोधित कर दिया है। अगस्त, 2021 को एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित किया गया और निजी बिक्री प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया, जिसे रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया। हमारी राय में, कॉर्पोरेट देनदार की समग्र परिसंपत्तियों की निजी बिक्री प्रक्रिया को लिया जाना चाहिए।

उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा आगे-बिना कोई और समय गंवाए परिसमापक और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकाला जाए। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करने वाले सभी योग्य बोलीदाता कॉर्पोरेट देनदार की समेकित परिसंपत्तियों को निजी तौर पर बेचने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2-परिसमापक द्वारा आयोजित बातचीत में भाग लेने के हकदार होंगे। तदनुसार, हम निर्देश देते हैं कि 24 अगस्त, 2021 को शुरू हुई निजी वार्ता की प्रक्रिया को उसके तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा और एम/एस।

आर. के. इंडस्ट्रीज (यूनिट-II)

एलएलपी बनाम। एम/एस। एच. आर

वाणिज्यिक निजी लिमिटेड [हिमा

कोहली, जे.]

इस आदेश के पारित होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर प्रतिवादी संख्या 2-परिसमापक द्वारा बंद कर दिया गया।

63. नतीजतन, आर. के. इंडस्ट्रीज द्वारा दायर 2021 की सिविल अपील विफल हो जाती है और इसे आई. ए. संख्या 166862/2021 के साथ खारिज कर दिया जाता है। वेलस्पन द्वारा दायर 2021 की सिविल अपील No.7731 की अनुमति उपरोक्त शर्तों पर दी गई है। दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। लंबित बी आवेदन, यदि आई. ए. सं. 166862/2021 के अलावा कोई अन्य है, तो उनका निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे (सहायकः रूपांशी विरंग,

एलसीआरए)